सामर्थ्य और समृद्धि लगातार प्रयास और संघर्ष के जरिये ही आती हैं। -नेपोलियन हिल

नए मोर्चों की ओर

भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए अमेरिकी टैरिफ के सीमित असर की बात की जा रही है, जो एकाधिक अर्थों में उचित भी है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर यह भी जरूरी है कि नए मोर्चे खोले जाएं। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां एस एंड पी और फिच भी कह चुकी हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार को देखते हुए, अमेरिकी टैरिफ का बहुत अधिक असर हो, ऐसी आशंका कम ही है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी विदेश मंत्री के अमेरिका और भारत के जल्द ही साथ आने संबंधी बयान से भी उम्मीद बंधती है कि दोनों देशों के बीच संवाद में आने वाले गतिरोध जल्द ही खत्म हो सकते हैं। करीब चालीस खरब डॉलर की जीडीपी वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने निर्यात क्षेत्र में कुछ अरब डॉलर का नुकसान नगण्य ही लगता है। कुल मिलाकर सभी समीकरण भारत के हित में झुके ही मालूम होते हैं, लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी है। अमेरिकी टैरिफ से समुद्री खाद्य, वस्त्र, रत्न और जवाहरात, चमड़ा, कृषि इत्यादि जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आसन्न त्योहारों के महीने में अगर इन क्षेत्रों में नौकरियों पर संकट आता है, तो यह सभी के लिए चिंता की बात है। लेकिन, संकट ही नए मार्गों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। नए बाजार ढूंढना इसका समाधान हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ वक्त तो लगेगा। इस दौरान यह जरूरी है कि देश प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान को सुने। गौरतलब है कि ट्रंप के इरादों से खासकर, देश के कृषि व डेयरी क्षेत्र को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिकार की जो नीति अपनाई है, उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, तो उनसे भी हम यही उम्मीद करते। ध्यान देने वाली बात है कि स्वदेशी को बढ़ावा देने की उनकी नीति संरक्षणवाद न होकर, अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों से खुद को बचाने की एक रणनीति है। इस दिवाली के लिए प्रधानमंत्री मोदी जीएसटी में सुधार का तोहफा देने की बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा, नौकरी के बाजार में पहली बार उतर रहे युवाओं और नियोक्ताओं को आर्थिक

सहायता जैसे कदम व्यापार और रोजगार क्षेत्र को मुश्किल वक्त में यकीनन राहत देंगे। कुल मिलाकर, अमेरिकी टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अल्पकालिक झटका हो सकते हैं, लेकिन मजबूत घरेलू मांग, विविध होता निर्यात आधार और सक्रिय नीतिगत उपाय इससे लड़ने में पूरी तरह सक्षम हो सकते हैं।

इस संकट में भी अवसर छिपा है

हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हर संकट में हमेशा एक सबक और एक अवसर छिपा होता है। एकसाथ कई संकटों के इस दौर में भारत को आगे आने वाले झटकों के लिए तैयार रहने के साथ ही समय के अनुरूप खुद को ढालना भी होगा।

टैरिफ का झटका लगना शुरू हो गया है। रूसी तेल की निरंतर खरीद के कारण 27 अगस्त को अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया। इसका असर आपूर्ति शृंखला पर पहले से ही पड़ रहा है। ऑर्डर बीच में ही रद्द हो रहे हैं, खरीदार या तो बातचीत कर रहे हैं या फिर लौट रहे हैं, और निर्यातक पूर्वानुमानों के बजाय नतीजों के प्रति सजग हो रहे हैं। नई दिल्ली को सबसे कठिन व्यापारिक झटकों में से एक का सामना करना पड़ रहा है।

भारत के परिधान निर्यात में लगभग एक-तिहाई योगदान देने वाली निटवियर की राजधानी तिरुपुर में नुकसान तुरंत दिख रहा है। फैक्टरी मालिकों ने बड़े पैमाने पर ऑर्डर रद्द होने की सूचना दी है और उत्पादन लाइनें धीमी पड़ रही हैं। औपचारिक और उच्च-मूल्य वाले परिधानों के प्रमुख केंद्र नोएडा में, निर्यातकों को अचानक ऑर्डर रद्द होने और उत्पादन केंद्रों के बंद होने का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में छंटनी का डर मंडरा रहा है।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

सूरत में, जहां दुनिया के लगभग 90 प्रतिशत कच्चे हीरे पॉलिश किए जाते हैं, मजदूरों को घर भेजा जा रहा है। उनके कौशल विशिष्ट हैं, उनके विकल्प सीमित हैं। विशाखापत्तनम और कोच्चि में, समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को ऑर्डर कम मिल रहे हैं, क्योंकि इक्वाडोर जैसे प्रतिस्पर्धी कम टैरिफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ ने भारत को चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले नुकसानदेह स्थिति में डाल दिया है, जिन्हें कम टैरिफ का फायदा मिलता है।

व्यापार, शुल्क और भू-राजनीति की तमाम बातों के पीछे एक और बुनियादी कहानी छिपी है। यह जिंदगी से जुड़ी है। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), जो 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं और निर्यात में अहम भूमिका निभाते हैं, इस झटके का सबसे अधिक असर झेल रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का अनुमान है कि भारत से अमेरिका को होने वाले 86.5 अरब डॉलर के निर्यात में से 66 प्रतिशत, जिसका मूल्य 60.2 अरब डॉलर है, पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जिससे कपड़ा,

आभूषण और झींगा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में 70 प्रतिशत गिरावट का खतरा है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडिया एसएमई फोरम के अनुसार, कपड़ा और आभूषण उद्योग में 30 अरब डॉलर का एमएसएमई निर्यात और लगभग 80,000 नौकरियां खतरे में हैं। ये कोई अमूर्त आंकड़े नहीं हैं, ये भारत के बंदरगाहों से निकलने वाले प्रत्येक कंटेनर के पीछे छिपे मानवीय चेहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर का कहना है कि निर्यातक खरीदारों के साथ संबंध बनाए रखने और श्रमिकों को जोड़े रखने के लिए अस्थायी रूप से नुकसान को सहन कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा जाता, छंटनी शुरू हो सकती है।

सरकार को अब तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। राहत उपायों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए: कोविड-काल की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना की तर्ज पर आपातकालीन ऋण व्यवस्था, टैरिफ प्रभावित क्षेत्रों को प्रत्यक्ष सब्सिडी, और निर्यात प्रोत्साहनों में तेजी लानी चाहिए। हालांकि, वित्तीय सहायता के अलावा, एमएसएमई को जानकारी की भी आवश्यकता है। लंबे समय से लंबित वैश्विक बाजार खुफिया सेवा (जीएमआईएस) को तुरंत चालू किया जाना चाहिए। निर्यातकों को मांग, मूल्य निर्धारण, लॉजिस्टिक्स और नियामक बदलावों पर वास्तविक समय के आंकड़ों की आवश्यकता है। उन्हें सत्यापित खरीदार की जानकारी, प्रतिस्पर्धी बेंचमार्किंग और टैरिफ परिवर्तनों पर अलर्ट की आवश्यकता होती है। इसके बिना, वे असहाय हैं।

भारत में 6.3 करोड़ एमएसएमई होने के बावजूद मुख्यतः सीमित जागरूकता, सुलभ बाजार जानकारी का अभाव, और कहां व कैसे शुरुआत करें, इस बारे में अनिश्चितता के कारण अभी केवल 1.73 लाख एमएसएमई ही निर्यात कर रहे हैं। कई एमएसएमई को यह पता ही नहीं होता कि किन उत्पादों की किन देशों में मांग है, उसकी कीमतें क्या हैं, या नियमों और लॉजिस्टिक्स से कैसे निपटना है। वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित जीएमआईएस की परिकल्पना वैश्विक मांग, मूल्य निर्धारण, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग पर डाटा प्रदान करने वाले वन-स्टॉप पोर्टल के रूप में की गई थी। यह अब तक निष्क्रिय है। इस कमी को पूरा करने के लिए जीएमआईएस को चालू किया जाना चाहिए और इसे एक रीयल-टाइम ट्रेड इंटेलिजेंस सेल के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

वित्त एक और तात्कालिक आवश्यकता है। एसएमई फोरम ने ईसीएलजीएस की तर्ज पर एक आपातकालीन तरलता गलियारा स्थापित करने की सिफारिश सरकार से की है, ताकि एमएसएमई को इस संकट से उबरने में मदद मिल सके। टैरिफ प्रभावित समूहों तक पूर्व-स्वीकृत गारंटी और रियायती ऋण पहुंचना चाहिए, और सत्यापित फर्मों को सात दिनों के भीतर ऋण वितरित किया जाना चाहिए, ताकि बंद और छंटनी को रोका जा सके।

दक्षिण-पूर्व एशिया से भी सीख ली जा सकती है। वियतनाम, जिस पर अमेरिका द्वारा 46 प्रतिशत टैरिफ लगाने का खतरा मंडरा रहा था, ने कूटनीति और रणनीतिक रियायतों के जरिये इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया। उसने प्रमुख कारखानों का उन्नयन, व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी शुरू करके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया। ये प्रणालियां कच्चे माल से लेकर अंतिम वितरण तक उत्पाद की यात्रा पता लगाने में मदद करती हैं, जिससे दोषों का पता लगाना और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करना आसान हो जाता है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी सहित 17 मुक्त व्यापार समझौते करके वियतनाम यूरोप और एशिया को किए जाने वाले निर्यात में विविधता ला रहा है, जिससे अमेरिका पर निर्भरता कम हो रही है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता और घरेलू वस्तुओं के उपभोग का आह्वान किया है। इसका लाभ विनिर्माण आधार को उन्नत करने के रूप में भी उठाया जाना चाहिए, ताकि देश वास्तव में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सके और किसी एक बाजार पर निर्भर न रहे। हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हर संकट में हमेशा एक सबक और एक अवसर छिपा होता है। एक साथ कई संकटों के इस दौर में भारत को आगे आने वाले झटकों के लिए तैयार रहना होगा और तुरंत अनुकूलन करना होगा। edit@amarujala.com

पर्यावरण

प्रदूषण का दंड तो भरना ही पड़ेगा

कुत्तों के शोर में दबा रह गया सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय न सिर्फ प्रदूषणकर्ताओं को दंडित करने की व्यवस्था करता है, बल्कि यह देश की तस्वीर बदलने का दमखम रखता है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो महत्वपूर्ण निर्णयों से एक नई दिशा देते हुए निर्णायक कदम उठाने की संस्तुति की है। दोनों निर्णयों में समानता यह है कि इनमें कुछ काटने या काटने से होने वाले प्रभाव का जिक्र है। एक निर्णय, जिस पर पूरे देश का मीडिया, सोशल मीडिया और सरोकार रखने न रखने वाले जन चर्चा कर रहे हैं, वह कुत्तों के काटने से संबंधित है। दूसरा निर्णय, जो इसके एक सप्ताह पूर्व दिया गया, वह देश की पूरी तस्वीर बदलने का दमखम रखता है। दुर्भाग्यवश वह अति महत्वपूर्ण निर्णय कुत्तों के शोर में दब गया। पर्यावरण को सुधारने संबंधी इस अहम निर्णय में प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को वातावरण में प्रदूषण फैला रहे, व्यापार एवं उद्योगों को दंडात्मक रूप से काटने की क्षमता दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के तहत पॉल्यूटर पे सिद्धांत को स्वीकार करते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को वायु एवं जल संबंधी नियमों के तहत वातावरण को प्रदूषित कर रही औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापारों को दंडित करने का अधिकार दिया है। वैसे सन 2000 में लागू प्रथम शहरी ठोस कचरा (प्रबंधन एवं हस्तांतरण) नियम की प्रस्तावना में ही पॉल्यूटर पे सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। भारत में पॉल्यूटर पे सिद्धांत नया नहीं है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से पूर्व कचरा प्रबंधन या वातावरण शुद्धता का दायित्व आमजन का ही था, लेकिन ब्रिटिश हुक्मरानों ने कर वसूली का तरीका ईजाद करते हुए कचरा वसूलने का काम नगर निगमों को सौंपा, जिसकी शुरुआत मद्रास (अब चेन्नई) में 29 सितंबर, 1688 को की गई। सन 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ गए, लेकिन सफाई जैसे कार्य के लिए भी पूर्ण निर्भरता शासकीय तंत्र पर हो गई। कालांतर में प्रदूषण फैलाने का दोषी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हुए बिना किसी अंकुश के वातावरण को दूषित करने में लग गया।

डॉ. विवेक एस अग्रवाल

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी एवं लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड के केस में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच का निर्णय पलटते हुए स्पष्ट रूप से प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं कमेटी द्वारा पॉल्यूटर पे सिद्धांत के आधार पर दंड देने में सक्षम माना है। समूची दुनिया में घरों से लेकर बड़े उद्योगों एवं व्यापारों द्वारा कचरा उत्पादन से लेकर वातावरणीय अशुद्धता संबंधी शुल्क प्रदूषणकर्ता को ही वहन करना होता है। यहां तक कि कचरा प्रबंधन की समस्त सेवाएं उत्पन्न कचरे की मात्रा के आधार पर आनुपातिक शुल्क अदायगी के पश्चात ही सुलभ हो पाती हैं। सामान्यतया, शासन का दायित्व सेवाप्रदाता नहीं, अपितु नियंत्रक संगठन के रूप में होता है। सेवाप्रदाता बनने के साथ ही कचरा उत्पादक या प्रदूषण फैलाने वाले को निर्भरता का बहाना मिल गया, ताकि दोष सरकार पर मढ़ा जा सके।

अपने दायित्व से मुक्त होने का परिणाम यह हुआ कि वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को नियंत्रित करने के स्थान पर उससे दूर हटने के विकल्प ढूंढने पर ध्यान केंद्रित हो गया। इसके उदाहरण के रूप में दिल्ली से बाहर उद्योगों को स्थानांतरित करने के निर्णय को लिया जा सकता है। उसकी पृष्ठभूमि में अनकहे व्यापारिक तथ्य कुछ भी हो सकते हैं, किंतु समस्या निराकरण के स्थान पर समस्या से दूर भागने को तरजीह दी गई। इस संदर्भ में यह कथन भी विचारणीय है कि क्या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्यत्र स्थानांतरित करने से वहां वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। समस्याओं के तदर्थ समाधान के बजाय स्थायी समाधान की खोज हो। साथ ही, प्रदूषण फैलाने वाले को ही उसके लिए दोषी माना जाए।

सिर्फ सुखद अनुभवों की बात हो

जब दो बुजुर्ग मिलते हैं, तो उन्हें सिर्फ अपने रोगों, दुखों और परेशानियों की कहानियां ही नहीं बतानी चाहिए, बल्कि उन्हें खुशनुमा और सुखद अनुभवों के बारे में भी बात करनी चाहिए। और ऐसे अनुभव तो बहुत हैं।

बुढ़ापा जीवन के अन्य चरणों की तरह होता है। इसका अपना चेहरा, वातावरण, तापमान, आनंद और जरूरतें होती हैं। युवाओं की तरह हम सफेद बाल वाले बुजुर्गों पर भी अपने अस्तित्व को अर्थ देने की जिम्मेदारी है। बुढ़ापा जवान होने जितना ही अच्छा और पवित्र काम है। एक वृद्ध व्यक्ति यदि अपने सफेद बालों और मृत्यु की निकटता से नफरत करता है, तो वह जीवन के इस पड़ाव का उतना ही अयोग्य प्रतिनिधि है, जितना कि एक युवा और मजबूत व्यक्ति, जो अपनी नौकरी और दैनिक काम से नफरत करता है और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है।

हरमन हेसे

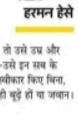

संक्षेप में, अगर एक बूढ़े व्यक्ति को अपना लक्ष्य हासिल करना है और अपने काम के साथ न्याय करना है, तो उसे उम्र और इसके साथ आने वाली हर चीज से तालमेल बिठाना होगा-उसे इन सब के लिए हामी भरनी होगी। प्रकृति की हमसे जो मांग है, उसे स्वीकार किए बिना, हम अपने सभी दिनों का मूल्य और अर्थ खो देते हैं-भले ही बूढ़े हों या जवान।

मुड़ मुड़ के देख

हर कोई जानता है कि बुढ़ापा अपने साथ समस्याएं भी लेकर आता है। साल दर साल हमें कुछ त्याग करने होते हैं, तो कुछ संयम बरतने पड़ते हैं। जो रास्ता पहले छोटा लगता था, अब वह लंबा व थकाऊ हो जाता है। लेकिन इस क्षय की प्रक्रिया के आगे झुक जाना और यह न देखना दुखद और दयनीय होगा कि बुढ़ापे के भी अपने अच्छे पहलू हैं।

जब दो बुजुर्ग मिलते हैं, तो उन्हें सिर्फ अपने गठिया रोग और सीढ़ियों पर सांस फूलने की बात ही नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने दुखों और परेशानियों की कहानियां ही नहीं बतानी चाहिए, बल्कि उन्हें खुशनुमा और सुखद अनुभवों के बारे में भी बात करनी चाहिए। और ऐसे अनुभव तो बहुत हैं। जब मैं एक बुजुर्ग के जीवन के सकारात्मक पक्ष का उल्लेख करता हूं, और इसका भी कि हम बूढ़े लोग भी शक्ति, धैर्य व आनंद के उन स्रोतों से परिचित हैं, जिनका युवाओं के जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो मैं धर्म व धार्मिक स्थल के सुख की बात नहीं कर रहा हूं। यह पुरोहित का काम है, पर मुझे लगता है कि मैं कृतज्ञतापूर्वक उन उपहारों को नाम दे सकता हूं, जो हमें उम्र के साथ मिले हैं।

दूसरी पारी

हर संकट के लिए खुद को दोष न दें

मादक पदार्थों की लत के शिकार व्यक्ति के बुजुर्ग पिता को मनोवैज्ञानिक नीलकंठ ने यह सलाह दी...

कुछ वर्ष पूर्व मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं अकेला हूं। मेरे दोनों बच्चे घर से बाहर रहते हैं। बड़ा बेटा शादी करके घर बसा चुका है, पर छोटा नशे का शिकार हो गया है। मैं बुरी तरह टूट गया हूं और लगता है कि यह सब मेरे कारण हुआ है। क्या करूं?

आपके साथ जिस तरह की समस्या आ खड़ी हुई है, उसे संभालना एक अकेले व्यक्ति के लिए वाकई बहुत कठिन होता है। विशेषकर, जीवनसाथी के देहांत के बाद किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अकेले जीवन बिताना बहुत कष्टदायी होता है। ऐसे में अपने बच्चों पर ज्यादा समय देना या समय बिताना असंभव नहीं, तो कठिन जरूर होता है। छोटे बेटे के नशे का आदी होने के लिए आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको इस बात का संतोष करना चाहिए कि आपका बड़ा बेटा अच्छा कर रहा है और उसमें कोई दुर्गुण भी नहीं है। साथ ही शादी करके वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को सकुशल निभा रहा है। जहां तक छोटे बेटे के नशे का आदी होने का सवाल है, तो इसके पीछे कई कारक काम करते हैं।

अगर आपके मन में यह भावना आ रही है कि बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताने के कारण वह गलत संगत में पड़ गया और बुरी आदतों का शिकार हो गया, तो यह स्वाभाविक है, लेकिन अभी खुद को दोष देने के बजाय आपको अपने बेटे की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले आप उसे किसी पेशेवर मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और यह पता करें कि उसे किस तरह की मदद करने की जरूरत है। अगर वह घर से दूर रहकर अकेला महसूस कर रहा है, तो थोड़े समय के लिए आप उसी के साथ रहने के लिए चले जाएं।

इससे उसको भी राहत मिलेगी और आपका साथ पाकर उसे आंतरिक खुशी मिलेगी। हो सकता है कि वह अपने में बदलाव लाने की कोशिश करे। साथ ही आप खोए हुए समय की भरपाई कर सकते हैं और अपने छोटे बेटे की इस संकट से उबरने में मदद कर सकते हैं। यह क्रिया करने का समय है, प्रतिक्रिया करने का नहीं। जीवन में इस तरह की परेशानियां आती रहती हैं, इसके लिए न तो खुद को दोष दें और न ही अपने बेटे पर नाराज हों, बल्कि धैर्यपूर्वक उसे इस संकट से निकलने में मदद करें। आप चाहें तो इसमें अपने बड़े बेटे की भी मदद ले सकते हैं।

बहुत से स्वयंसेवी संगठन नशे के आदी व्यक्ति को इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। खुद को दोष देने, नाराजगी जाहिर करने, अपने जीवन को बर्बाद समझने से नुकसान ही ज्यादा होगा, इसलिए अब सबसे पहले उसे इस लत के भंवरजाल से बाहर निकालने की कोशिश करें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि चिंता-फिक्र के कारण बुढ़ापे में आपकी परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं **edit@amarujala.com** पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

दूसरी पारी में काम करने का आनंद

'मैं टिहरी गढ़वाल के सुदूर क्षेत्र का निवासी हूं, जहां मेरी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई है। मैं राज्य कर विभाग, उत्तराखंड से जॉइंट कमिश्नर के पद से 2017 में सेवानिवृत्त हुआ हूं। 44 वर्षों की अपनी नौकरी में 18 वर्ष तो प्रख्यात औद्योगिक घरानों में और 26 वर्ष सरकारी सेवा की है। चूंकि, अभी पूरी तरह से स्वस्थ था, इसलिए दूसरी पारी में भी उसी जिजीविषा से काम करना चाहता था। मैं देश व समाज के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए दूसरी पारी में मैंने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। मैं देश व अपने गृह राज्य के अनछुए पहलुओं व उनके समाधान के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सेवाकाल में तो हम नियमों व आचरण नियमावलियों से बंधे रहते हैं, लेकिन दूसरी पारी में, मैं पूरी विनम्रता से लोगों की समस्याएं सरकार के समक्ष उठा रहा हूं, पढ़ता हूं और लिखता हूं। यही मेरी खुशी का स्रोत है।'

-एसपी नौटियाल, सेवानिवृत्त जॉइंट कमिश्नर

वरिष्ठ नागरिकों के

काम की योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बुढ़ापे में मदद के लिए 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन' (पीएम-एसवाईएम) योजना है। 18-40 वर्ष की आयु वाले श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, इसमें शामिल हो सकते हैं। आयु के अनुसार मासिक योगदान देना होता है। इससे 60 वर्ष के बाद आपके खाते में आजीवन 3,000 रुपये मासिक पेंशन आती रहेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल के साथ संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 1800 889 6811 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

'अनुभव बोलता है'

यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जिससे उनके जीवन में आनंद और संतुष्टि मिल सकती है। चाहे वे सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, फिटनेस सत्र हों, शैक्षिक कार्यशालाएं हों या मनोरंजक समारोह हों, इस का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को समृद्ध बनाना और एक जीवंत, सहयोगी समुदाय को बढ़ावा देना है। इसमें शामिल होने के लिए नीचे के लिंक पर जा सकते हैं। https://scw.dosje.gov.in/volunteer पर क्लिक करते ही आपको लॉगिन व रजिस्टर का विकल्प मिलेगा। लॉगिन करके आप अपने राज्य, शहर और तारीख के अनुसार आगामी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 29 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

editpagesahara@gmail.com

अनमोल वचन

श्रेष्ठतम मार्ग खोजने की प्रतीक्षा की बजाय, हम गलत रास्ते से बचते रहें और बेहतर रास्ते को अपनाते रहें।
-पं. जवाहर लाल नेहरू

पीड़ादायक कारावास

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मुकदमे को बेवजह लंबा खींचने को पीड़ादायक बताते हुए इसे मानसिक कारावास के समान कहा। भ्रष्टाचार के मामले में सजा को घटा कर जेल में बिताई अवधि तक सीमित कर दिया। दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए पीठ ने मूल जुर्माने की राशि बढ़ा कर पच्चीस हजार रुपये अधिक कर दी। बाइस साल पहले तीन सौ रुपये रिश्वत मांगने वाली यह महिला 75 वर्ष की हो चुकी है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में निरीक्षक के पद पर कार्यरत थी। उसे सितम्बर, 2002 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था और निचली अदालत ने एक वर्ष के कारावास की सजा दी थी। 2010 में फैसले के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में उसने अपील की। वहां भी आदेश की पुष्टि के उपरांत दोषी शीर्ष अदालत आई। शीर्ष अदालत में सत्तासी हजार से अधिक मामले लंबित बताए जा रहे हैं। जिला व अधीनस्थ अदालतों में सत्तानवे लाख से अधिक मामले लंबित हैं। लंबित मुकदमों को यथा शीघ्र निपटाने की हिदायतों के बावजूद आरोपी सालों से न्याय के इंतजार में जेलों में बंद हैं जिसके चलते जेलों की हालत भी बेहद खराब है। बेशक, अदालती कार्रवाई में संसाधनों की कमी, जजों की नियुक्ति समेत तमाम दिक्कतें मुंह बाये खड़ी हैं, जिनका निपटान होता नहीं नजर आ रहा। दोषसिद्धि होने से पूर्व हजारों कैदी इस मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं। उस पर भी आरोप सिद्ध न होने या पर्याप्त सबूतों के अभाव में रिहा होने पर भी उनकी इस मानसिक दुर्दशा के प्रति किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। बार-बार चर्चा होती है कि दुर्दांत अपराधियों या जालसाजों के अतिरिक्त दोषसिद्धि से पहले कैद में रखने का कोई औचित्य नहीं है। अव्वल तो पेचीदा न हो तो मामलों का निपटान फौरी तौर पर होने की व्यवस्था होनी चाहिए। बिला-वजह मामलों को लंबित रखना पीड़ित और आरोपी, दोनों को मानसिक कारावास के तौर पर पीड़ा देने वाला ही नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था और शासन के लिए भी अहितकर साबित होता है। यह मौलिक अधिकारों का भी हरण है। न्याय प्राप्ति में देरी को अन्याय से मुक्त नहीं कहा जा सकता। लंबित वाद दोनों ही पक्षों के लिए मानसिक कारावास सिद्ध होता है। ढेरों मामलों में सजापूर्व कैदी को इस मानसिक कारावास के चलते गहन तनाव झेलना पड़ता है, जिस पर गौर किए जाने की जरूरत है।

आत्मनिर्भरता की राह

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भरता को लेकर बुधवार को जो कहा उससे कौन असहमत हो सकता है। उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए किसी दबाव में नहीं। संभवतः भागवत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया को मनमाने टैरिफ से हांकने की एकाधिकारवादी व्यापार नीति पर सरकार को राह दिखाने का प्रयास कर रहे थे। संघ के शताब्दी वर्ष पर एक व्याख्यान शृंखला को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही सभी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने इसके लिए स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। भागवत के अनुसार आत्मनिर्भर होने का मतलब आयात बंद कर देना नहीं है। निश्चित ही ऐसा करना कूपमंडूकता की निशानी और आत्मघाती कदम होगा जिससे हमारे पिछड़ जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया आगे बढ़ती है, क्योंकि एक-दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हमारे लिए भी दुनिया के साथ कदम मिला कर चलने के लिए आयात-निर्यात जारी रखना आवश्यक है। इसमें किसी देश का दबाव नहीं होना चाहिए। स्वदेशी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब यह नहीं है कि उन वस्तुओं का आयात न किया जाए जो देश में पहले से मौजूद हैं, या जिनका विनिर्माण देश में ही आसानी से हो सकता है। जब हम आयातित विदेशी वस्तुओं को प्रथमिकता देते हैं तो अपने देश के निर्माताओं, उत्पादकों और विक्रेताओं को नुकसान होता है। अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। भागवत की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है, जब रूसी तेल की खरीद को लेकर ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लागू हो गया है। भागवत ने साफ कहा कि जो कुछ भी अपने देश में बनता है, उसे आयात करने की जरूरत नहीं है। जीवन के लिए जरूरी ऐसी वस्तुओं, जो अपने देश में नहीं बनतीं, को ही आयात करने की नीति पर चलना चाहिए। स्वदेशी का मतलब यही है कि अपने देश की नीतियां स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से बनाई जाएं। अलबत्ता, मोहन भागवत नई-नई तकनीकों की खोजों और वैज्ञानिक शोध में वर्चस्व कायम करने की बात शामिल करने से चूक गए जो आज के युग में आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी निशानी है।

राष्ट्रीय खेल दिवस/योगेश कुमार गोयल

खेलों में बढ़ता भारत

देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष हॉकी के पूर्व कप्तान मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त के अवसर पर 'राष्ट्रीय खेल दिवस' मनाया जाता है। 'हॉकी के जादूगर' के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रति वर्ष यह दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को खेलों के महत्त्व के बारे में जागरूक करना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बना कर स्वस्थ एवं फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना, अनुशासन, दृढ़ता, खेल भावना, टीम वर्क इत्यादि खेलों के मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है। हालांकि बीते कुछ वर्षों से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी जिस प्रकार परचम लहराते दिख रहे हैं, उससे स्पष्ट अहसास होने लगा है कि खेलों की दुनिया में भारत अब नई ताकत के रूप में उभर रहा है। ओलंपिक हों या राष्ट्रमंडल खेल अथवा अन्य स्पर्धाएं, हर कहीं भारतीय खिलाड़ी अपने जलवे दिखा रहे हैं।

इसे भारत की बदलती खेल संस्कृति का ही असर माना जाना चाहिए कि क्रिकेट हो या बैडमिंटन, कुश्ती हो या भारोत्तोलन, भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अब दुनिया भर में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। भारतीय खेलों की दशा और दिशा सुधरने की सुखद तस्वीर यही है कि भारत की बेटियां भी अब खेलों की दुनिया में निरन्तर स्वर्णिम इतिहास लिख रही हैं। पेरिस ओलंपिक में दो पदक जीत कर नया इतिहास रचने वाली मनु भाकर इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। दरअसल, दुनिया की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो भारत आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ऐसे में हमारी खेल उपलब्धियां अभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। हम अभी भी ओलंपिक जैसे आयोजनों में चीन, अमेरिका सहित कई देशों जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमारी खेल प्रतिभाओं में कमी है, बल्कि जरूरत है उन्हें बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सही तरीके से तराशने की।

भारत खेल महाशक्ति बन सके, इसके लिए खेल संबंधी योजनाओं में निवेश और जरूरत के मुताबिक उनका बजट बढ़ाने के अलावा पिछड़े से पिछड़े इलाकों के स्कूलों में भी खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने को कृतसंकल्प होना होगा। खेलों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

खेल आधारित शिक्षा जरूरी

पोषण भी पढ़ाई भी

अन्नपूर्णा देवी

यदि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, तो हमें शुरुआत-अपने सबसे छोटे नागरिकों की क्षमता के विकास से करनी होगी, जहां से जीवन का आगाज होता है। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की खिलखिलाती हंसी में, उनके द्वारा गाई जाने वाली कविताओं में और उनके द्वारा बनाए जाने वाले ब्लॉक में हमारे राष्ट्र के भविष्य का सामर्थ्य आकार लेता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अपने सबसे छोटे नागरिकों को अपनी विकास यात्रा के केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री ने न केवल विश्वविद्यालयों और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करके, अपितु बच्चे की पहली कक्षा-आंगनवाड़ी-के महत्त्व को पहचानते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को नये सिरे से परिभाषित किया है।

आज भारत में खेल सिर्फ मनोरंजन भर नहीं अपितु नीति है और इसके परिणाम बिल्कुल स्पष्ट और विश्वसनीय हैं। बीते दशक में मोदी सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण को मूलभूत रूप से पुनर्परिभाषित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 निर्णायक मोड़ साबित हुई, जिसमें स्वीकार किया गया है कि मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास छह साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। यदि हम स्मार्ट, स्वस्थ और अधिक उपयोगी आबादी चाहते हैं, तो हमें वहां निवेश करना होगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है-जीवन के शुरुआती छह वर्षों में।

वैज्ञानिक प्रमाण इस बदलाव का समर्थन करते हैं। सीएमसी, वेल्लोर के क्लिनिकल महामारी विज्ञान विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों को 18 से 24 महीने तक व्यवस्थित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) मिली, उनके आईक्यू में-पांच साल की उम्र तक 19 अंक तक, और नौ साल की उम्र तक तो 5 से 9 अंक तक की उल्लेखनीय और स्थायी वृद्धि देखी गई। विकासशील भारत के लिए यह वृद्धि महत्त्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि पांच साल की उम्र से पहले गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों में उच्च आईक्यू, बेहतर सामाजिक कौशल और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन की संभावना 67 प्रतिशत अधिक होती है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. जेम्स हेकमैन की प्रसिद्ध उक्ति है, 'जितनी जल्दी शुरुआत, उतने बेहतर परिणाम-और उतने ही कुशल रिटर्न'। उनके शोध में अनुमान व्यक्त किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में निवेश से 13-18 प्रतिशत तक रिटर्न मिलता है-जो शिक्षा या नौकरी के प्रशिक्षण के किसी भी अन्य चरण से अधिक है।

ईसीसीई के आर्थिक-सामाजिक, दोनों प्रकार के महत्त्व को समझते हुए महिला एवं बाल

विकास मंत्रालय ने 'पोषण भी पढ़ाई भी' नामक पहल की है, जिसने आंगनवाड़ी केंद्रों को जीवंत प्रारंभिक शिक्षा केंद्रों में तब्दील कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहली बार स्थानीय और स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग कर गतिविधि-आधारित और खेलोन्मुख दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थित रूप से ईसीसीई में प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षण-अधिगम सामग्री के लिए बजट आवंटन में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है, और मासिक ईसीसीई दिवसों को संस्थागत रूप दिया गया है। आज, आंगनवाड़ी केंद्र केवल पोषण का स्थान नहीं है-यह प्रत्येक बच्चे की पहली पाठशाला है, जो जीवन के महत्त्वपूर्ण वर्षों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और समग्र विकास का पोषण करती है। मंत्रालय ने इस परिवर्तन को दिशा देने के लिए 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम-आधारशिला-की शुरुआत की है। आधारशिला बच्चों के बौद्धिक विकास पर ही नहीं, बल्कि भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण पर भी जोर देते हुए समग्र विकास पर केंद्रित है। यह खेल के माध्यम से सीखने की व्यवस्थित प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, जिससे बच्चों को सहयोगपूर्ण वातावरण में बढ़ने और फलने-फूलने का अवसर मिलता है।

बच्चे खेलने के प्रति सहज रूप से आकर्षित होते हैं-अपनी दुनिया के कोने-कोने को खोज और आनंद के स्थान में तब्दील कर देते हैं। सही वातावरण के साथ यह प्रवृत्ति आजीवन सीखने की नींव बन जाती है। पोषण भी पढ़ाई भी सुरक्षित, व्यवस्थित और प्रेरक वातावरण प्रदान करके इस भावना को पोषित करती है जहां बच्चे निर्देशित खेल और शिक्षा के माध्यम से फल-फूल सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) हमारे देश के भविष्य को आकार देने में बुनियादी भूमिका निभाती है। पोषण भी पढ़ाई भी पहल के तहत देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों को समग्र प्रारंभिक शिक्षा के लिए पोषण स्थलों में बदला जा रहा है। व्यवस्थित आधारशिला की 5+1 साप्ताहिक योजना सुनिश्चित करती है कि दिन की शुरुआत 30 मिनट के उन्मुक्त खेल से हो, उसके बाद भाषा, रचनात्मकता, मोटर स्किल और सामाजिक संपर्क बढ़ाने वाली व्यवस्थित गतिविधियां हों। दोपहर के पौष्टिक भोजन और आराम के बाद दिन का समापन बाहरी खेल और बातचीत के साथ होता है, जो मूल्यों को सुदृढ़ करता है, और भावनात्मक संबंध बनाता है।

व्यवस्थित और निर्बाध खेल के प्रति यह संतुलित दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है खासकर एनईपी 2020 के आलोक में, जिसने औपचारिक स्कूल प्रवेश की आयु को छह वर्ष कर दिया है। व्यवस्थित ईसीसीई सुनिश्चित करती है कि बच्चे भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक रूप से स्कूल के लिए तैयार हों। देश भर के अभिभावकों का बढ़ता विश्वास वास्तव में उत्साहजनक है। जो परिवार पहले कभी आंगनवाड़ियों को केवल पोषण केंद्र मानते थे, अब उन्हें अपने बच्चे की शिक्षा की यात्रा में पहला कदम मानते हैं। हर बच्चा जन्म से ही मजबूत शुरुआत का हकदार है। जन्म से तीन साल तक की आयु वर्ग के बुनियादी महत्त्व को समझते हुए मंत्रालय ने प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय ढांचा-नवचेतना-की भी शुरुआत की है। यह पहल माता-पिता और देखरेख कर्ताओं को बच्चों के विकास के लिए घर पर ही सरल, खेल-आधारित, आयु के-उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से सशक्त बनाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को सीखने, बढ़ने और फलने-फूलने का अवसर मिले। *(लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। लेख में विचार निजी हैं)*

नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. जेम्स हेकमैन की प्रसिद्ध उक्ति है, 'जितनी जल्दी शुरुआत, उतने बेहतर परिणाम-और उतने ही कुशल रिटर्न'। उनके शोध में अनुमान व्यक्त किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में निवेश से 13-18 प्रतिशत तक रिटर्न मिलता है-जो शिक्षा या नौकरी के प्रशिक्षण के किसी भी अन्य चरण से अधिक है। ईसीसीई के आर्थिक-सामाजिक, दोनों प्रकार के महत्त्व को समझते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'पोषण भी पढ़ाई भी' नामक पहल की है

जॉब करने वाली महिलाओं की संख्या 7 साल में दोगुनी

- पिछले सात वर्षों में भारत महिलाओं के लिए रोजगार की दर लगभग दो गुनी हो गई है। यह 2017-18 में 24 फीसद थी जो 2023-24 में बढ़कर 40.3 फीसद हो गई है। श्रम मंत्रालय ने यह जानकारी दी है
- श्रम मंत्रालय के मुताबिक, यह बदलाव ग्रामीण भारत में और भी ज्यादा अहम है, जहां महिलाओं के रोजगार में 96 फीसद की बढ़ोतरी हुई है जबकि शहरी इलाकों में यह दर 43 फीसद है
- मंत्रालय के मुताबिक, 2047 तक 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने के लिए जरूरी है कि देश में 70 फीसद महिलाएं वर्कफोर्स में शामिल हों

(मीडिया इनपुट्स)

क्या सरकार के पास अमेरिकी टैरिफ की विध्वंसकता को बेअसर करने के लिए कोई ठोस योजना है या फिर नागरिकों पर ही होगा कि 'गर्व करो' और 'स्वदेशी' मीम्स के जरिए ही मैकडोनॉल्ड्स का बहिष्कार करके अमेरिका के विध्वंसक मंसूबे का मुकाबला करें।

रोहिणी सिंह, पत्रकार
@rohini_sgh

प्राचीन विद्या की गरिमा पर खतरा

ज्योतिष **रजनीश कपूर**

आज के डिजिटल युग में, जहां सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने सूचना के प्रसार को अभूतपूर्व गति दी है, ज्योतिष विद्या भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन गई है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर ज्योतिष से संबंधित वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। इनमें से कई वीडियो दावा करते हैं कि वे 'त्वरित सफलता' के मंत्र, उपाय या टोटके प्रदान करते हैं, जो कुछ ही दिनों में जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। पारंपरिक और अनुभवी ज्योतिषी, जो जन्म कुंडली के गहन विश्लेषण के बाद ही उपाय सुझाते हैं, की विश्वसनीयता की तुलना में ये तथाकथित 'त्वरित उपाय' कितने प्रभावी हैं?

सोशल मीडिया पर उपलब्ध ज्योतिषीय वीडियो में अक्सर आकर्षक शीर्षक देखने को मिलते हैं-'तीन दिन में धन प्राप्ति का चमत्कारी उपाय' या 'इस मंत्र से बदल जाएगी आपकी किस्मत।' ये वीडियो आम तौर पर छोटे, तेजी से संपादित और मनोरंजक होते हैं, जो दर्शकों का ध्यान तुरंत खींचते हैं। इनमें बताए गए उपाय सरल और त्वरित लगते हैं, जैसे किसी विशेष रंग का धागा बांधना, कोई मंत्र जपना, या किसी वस्तु को घर में रखना। वृंदावन में कई वर्षों से ज्योतिष विद्या कर रहे सुप्रसिद्ध आचार्य राजेश पांडे के अनुसार, 'इन उपायों का कोई वैदिक या ज्योतिषीय आधार नहीं होता। ज्योतिष जटिल विद्या है, जिसमें ग्रहों, नक्षत्रों और कुंडली के बारह भावों का गहन अध्ययन शामिल होता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण किए बिना सामान्य उपाय देना न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि लोगों को गलत दिशा में ले जा सकता है।' आचार्य पांडे कहते हैं, 'ऐसे वीडियो का उद्देश्य अक्सर दर्शकों की भावनाओं को भुनाना होता है। कम समय में ज्योतिष विद्या कभी नहीं सीखी जा सकती।' विशेषज्ञों के अनुसार, प्रामाणिक और अनुभवी ज्योतिषी किसी भी उपाय को सुझाने से जन्म कुंडली का गहन अध्ययन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, जो उनके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति पर आधारित होती है। कुंडली में ग्रहों के गोचर, दशा, अंतर्दशा और विभिन्न योगों का विश्लेषण करके ही तय किया जाता है कि व्यक्ति को किस प्रकार के उपाय की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है, तो ज्योतिषी

विशिष्ट मंत्र, दान, या पूजा की सलाह दे सकते हैं, जो उसकी स्थिति के लिए उपयुक्त हो। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और जटिल होती है, लेकिन अधिक विश्वसनीय और प्रभावी होती है। यह विचारणीय है कि क्या त्वरित सफलता के मंत्र देने वाले वीडियो केवल लोकप्रियता बढ़ाने का हथकंडा हैं। सोशल मीडिया पर व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या सीधे तौर पर आय से जुड़ी होती है। इसलिए, कई अनुभवहीन या स्वयंभू ज्योतिषी आकर्षक और सनसनीखेज सामग्री बना कर दर्शकों को लुभाने की कोशिश करते हैं। वे जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों को सरल और त्वरित समाधानों में बदल देते हैं, जो वास्तव में ज्योतिष शास्त्र की गहराई को कमजोर करते हैं। आचार्य पांडे के अनुसार, 'कुछ लोग सतही जानकारी के आधार पर वीडियो बनाते हैं, जो किताबों, इंटरनेट, या अन्य स्रोतों से ली गई होती हैं। कई स्वयंभू ज्योतिषियों के पास न तो औपचारिक प्रशिक्षण होता है, और न ही गहन अनुभव। फिर भी, वे अपने आत्मविश्वास, आकर्षक प्रस्तुति और मार्केटिंग रणनीतियों के दम पर लाखों दर्शकों तक पहुंच जाते हैं। यह न केवल ज्योतिष की विश्वसनीयता को कम करता है, बल्कि उन लोगों को भी निराश करता है, जो इन उपायों पर भरोसा करते हैं।' ज्योतिष प्राचीन और सम्मानित विद्या है, जिसका उपयोग सदियों से लोगों के मार्गदर्शन के लिए किया जाता रहा है, लेकिन इस तरह के भ्रामक वीडियो इसकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब लोग इन तथाकथित उपायों को आजमाते हैं, और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, तो वे न केवल उन वीडियो पर विश्वास खो देते हैं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र पर ही सवाल उठाने लगाते हैं।

यह उन अनुभवी ज्योतिषियों के लिए भी चुनौती बनता है, जो वर्षों के अध्ययन और अभ्यास के बाद लोगों की मदद करते हैं। अंत में, कहना गलत नहीं होगा कि त्वरित सफलता के मंत्र देने वाले ज्योतिषीय वीडियो अधिकांशतः भ्रामक और लोकप्रियता के लिए बनाए जाते हैं। लोगों की भावनाओं और आशाओं का शोषण करते हैं, वो भी बिना किसी ठोस आधार के। दूसरी ओर, प्रामाणिक ज्योतिषी, जो कुंडली के गहन विश्लेषण के बाद उपाय सुझाते हैं, अधिक विश्वसनीय और प्रभावी होते हैं। ज्योतिष विज्ञान और कला का मिश्रण है, जो तभी प्रभावी होता है, जब इसे गंभीरता और जिम्मेदारी से अपनाया जाए। त्वरित सफलता का लालच छोड़कर हमें धैर्य और समझदारी के साथ सही मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। तभी हम ज्योतिष के वास्तविक लाभों को प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्राचीन विद्या की गरिमा को बनाए रख सकते हैं।

(लेख में विचार निजी हैं)

बुढ़ापा **श्री राम शर्मा आचार्य**

बुढ़ापा क्यों और कैसे आता है? इससे निजात कैसे पाई जाए? इस विषय पर देश-विदेश की विभिन्न शोधशालाओं में गहन अनुसंधान चल रहे हैं। अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज (कायिक आयु) उसकी क्रोनोलॉजिकल एज (मियादी आयु) से बढ़ी-चढ़ी होती है। आखिर, उसका कारण क्या है? बुढ़ापा असमय क्यों आ धमकता है? इन सभी बातों के सूक्ष्मता से अध्ययन के लिए 'जरा विज्ञान' अथवा 'जेरानटोलॅजी' नामक विज्ञान की शाखा की शुरुआत की गई है, जिसमें वैज्ञानिक इस बात को खोजते हैं कि क्या इस स्थिति को कुछ काल तक टाला जा सकता है? इस दिशा में प्रयास जारी हैं। पेशियों पर से नियंत्रण उठ जाने के कारण हाथ-पैर कांपने लगते हैं। यही बुढ़ापा है। बुढ़ापे का एक अन्य कारण स्मरण शक्ति का लोप होना है। बुढ़ापे के अन्य कारणों को खोजने एवं उनका हल निकालने की दिशा में अल्बर्ट आइंस्टीन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय-अमेरिका, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन-लंदन एवं यूरोपीय अनुसंधान विश्वविद्यालय-स्विट्जरलैंड के शरीरशास्त्रियों का कहना है कि शरीर कोशिकाओं की संख्या में ह्रास और उनकी जीवन अवधि में कमी आना ही संभवतः बुढ़ापे का मुख्य कारण है। उम्र के साथ-साथ शरीर की ताप नियंत्रक क्षमता में कमी आने लगती है जिससे बुढ़ापे में सर्दी-गर्मी सहने की सामर्थ्य घट जाती है। इस स्थिति में विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। वृद्धावस्था में शरीर प्रतिरोधी क्षमता में ह्रास को शरीर विज्ञानी अस्थाई बताते हैं, और कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के प्रयोग से इसे दूर किया जा सकता है। वार्धक्य की स्थिति में हृदय रोग और लकवा की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक रक्तचाप के नियंत्रण पर जोर देते हैं और पेशियों को सुसंगठित बनाए रखने के लिए हल्के व्यायाम की सलाह देते हैं। योग तथा आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यों ने पूर्व से ही इसके लिए योग और आयुर्वेद के अवलंबन का परामर्श दिया है। अब वैज्ञानिक निष्कर्ष भी वहीं आ पहुंचा है। अंततः वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है कि थकानरहित व्यायाम, सरल योगासन और ध्यान धारणा ही वे उपाय हैं, जो असमय बुढ़ापे से निजात दिला सकते हैं।

रीडर्स मेल

राजनीति में विश्वास का मसला

हाल में जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा संत प्रेमानंद महाराज को लेकर की गई टिप्पणी ने समाज में नई बहस को जन्म दिया है। धर्म और संत परंपरा से जुड़े लोगों के लिए यह विषय केवल व्यक्तिगत मतभेद का नहीं, बल्कि संतों की गरिमा और मर्यादा का प्रश्न बन गया है। हमारे समाज में संतों को सदैव आदर्श और संयम का प्रतीक माना गया है। जब ऐसे संत एक-दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, तो भक्तों और श्रद्धालुओं के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। धर्म और अध्यात्म की राह दिखाने वाले व्यक्तित्व यदि आपसी मतभेदों को सार्वजनिक विवाद बना दें तो इससे समाज को नकारात्मक संदेश जाता है। आज के समय में जब समाज पहले से ही विभाजन और तनाव से जूझ रहा है, तब संतों का कर्त्तव्य है कि लोगों को जोड़ने का काम करें, न कि अनुयायियों को भ्रमित करें। ऐसी परिस्थितियों में संतों को चाहिए कि एक-दूसरे की आलोचना से बचें और धर्म के उच्च आदर्शों को जीवित रखें। एक पाठक के रूप में मेरा मानना है कि संतों को मतभेद होने पर भी उसे संवाद और विवेक से सुलझाना चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों पर विवाद बढ़ाना चाहिए। आज समाज को जोड़ने वाले संदेशों की आवश्यकता है, इसलिए संतों की वाणी में सौहार्द और मर्यादा का भाव होना आवश्यक है।

आराध्या सिंह, आजमगढ़,

भूस्खलन से श्रद्धालु खौफ में

जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन के कारण 38 श्रद्धालुओं की मृत्यु दुखद घटना है जिस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू-कश्मीर ही नहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई हुई है, और स्थानीय लोग और श्रद्धालु खौफ में जी रहे हैं। जम्मू की घटना के कारण इस क्षेत्र में अधिकांश रेल रद्द कर दी गई हैं, जिससे वहां फंसे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। सरकार पूरी कोशिश करती है कि बारिश के दिनों में लगातार मौसम बुलेटिन जारी करे, लोगों को अवगत कराए और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दे ताकि वैष्णो देवी मंदिर मार्ग जैसा घटनाक्रम न हो और जान-माल का नुकसान कम से कम हो। 'जान है तो जहां है' कहावत को जरूर समझना चाहिए। धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं घर पर भी निभाई जा सकती हैं। बिना सोचे-समझे घर से निकलने पर जान-माल का नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि प्रकृति कभी भी रौद्र रूप ले सकती है।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

अंगदान सर्वोच्च श्रेणी का त्याग

किसी और के जीवन के लिए अपने अंगों का दान करना सर्वोच्च श्रेणी का त्याग कहा जा सकता है। सनातन काल से अंगदान का महत्त्व रहा है। महर्षि दधीचि इसके साक्षात उदाहरण हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अंगदान और देहदान के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। दुर्घटना और सामान्य मृत्यु के बाद शरीर के कई अंग जरूरतमंदों के काम आ सकते हैं। इसे बढ़ावा मिलना चाहिए। देहदान के लिए लोगों को मानसिक रूप से जागरूक किया जाना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई में मृत देह बहुत उपयोगी साबित होती है।

ललित महालकरी, इंदौर
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बाराखम्बा लेन, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011- 23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-35, अंक 15
आर.एन.आई. सं. 53460/91, पंजीकरण संख्या UP/BR/GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

दैनिक जागरण

संयम किसी भी संकट से बचाने में सक्षम है

भारत की तैयारी

भारत के खिलाफ मोर्चा खोले अमेरिकी राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने जिस तरह यह बेतुका आरोप उछाला कि यूक्रेन संघर्ष मोदी का युद्ध है, उससे भारतीय प्रधानमंत्री की वह आशंका ही रेखांकित होती है, जिसमें उन्होंने किसानों, मछुआरों आदि के हितों की रक्षा के लिए अडिग रहने की बात कहते हुए कहा था कि इनके हित के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी पड़ेगी और वे इसके लिए तैयार हैं। क्या उनका आशय राजनीतिक नुकसान से था? क्या इसका अंदेशा है कि ट्रंप प्रशासन मोदी को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकता है? पता नहीं ट्रंप के मन में क्या है, पर यह किसी से छिपा नहीं कि अमेरिका किस तरह दूसरे देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप करता रहा है। ट्रंप इस कारण भारत से चिढ़ गए लगते हैं कि आपरेशन सिंदूर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने उनके अहं को तुष्ट नहीं किया। यह भी हो सकता है कि आपरेशन सिंदूर के बाद उनके भारत विरोधी तेवरों से मोदी ने भी उनसे दूरी बनाना उचित समझा हो। जो भी हो, पीटर नवारो वही हैं, जिन्हें ट्रंप की टैरिफ नीति का जनक माना जाता है।

पीटर नवारो भारत के खिलाफ पहले भी बेजा बयान दे चुके हैं। उनका यह कथन उनकी भारत विरोधी मानसिकता का ही परिचायक है कि भारत के उच्च टैरिफ के कारण हमारी नौकरियां, कारखाने, आय और उच्च वेतन खत्म हो रहे हैं। उनका यह कहना तो नितांत हास्यास्पद है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। वास्तव में इसके लिए यूरोप और स्वयं अमेरिका जिम्मेदार है। इन देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा करने की हरसंभव कोशिश के तहत जब उसे नाटो का सदस्य बनाने की कोशिश की, तब रूस ने आक्रामक रवैया अपनाया और अंततः उस पर हमला कर दिया। तथ्य यह भी है कि यूक्रेन को रूस से लड़ते रहने के लिए हथियार और आर्थिक सहायता यूरोप एवं अमेरिका ही उपलब्ध करा रहे हैं। इन स्थितियों में मोदी सरकार को ट्रंप प्रशासन से और सतर्क रहना होगा। इस सतर्कता के साथ ही उसे ट्रंप टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयत्न करने होंगे। इसलिए करने होंगे, क्योंकि कई क्षेत्रों के निर्यातकों को नुकसान होने और कुछ नौकरियां जाने की आशंका निराधार नहीं। निर्यातकों और कामगारों को राहत देने के लिए सरकार को ठोस उपाय करने होंगे। यह उचित ही है कि सरकार ने 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लागू हो जाने के बाद भारतीय वस्त्रों के लिए अनेक ऐसे देशों की पहचान की है, जिन्हें निर्यात बढ़ाया जा सकता है। यह भी समय की मांग है कि भारत अमेरिका के खिलाफ चीन से रिश्ते सामान्य करने के साथ ब्रिक्स का इस्तेमाल करे। ऐसा करते हुए भारत को चीन से सावधान भी रहना होगा।

सही निर्णय

बिहार सरकार उद्योगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं। उन पर अमल भी किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में निश्चित ही राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। सरकार के इन प्रयासों में सबसे अच्छी बात औद्योगिक विकास में पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखना है। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उद्योगों को नकारात्मक सूची में डालने का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 का प्रविधान इसी उद्देश्य से है। इसके तहत, पर्यावरण पर ध्यान नहीं देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। असामान्य मौसम हमें प्रभावित कर रहा। बिहार जैसे राज्य में भी इसका प्रभाव दिख रहा। सूखे के प्रभाव वाले क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हो रही। जहां बारिश होती थी, वहां नहीं हो रही। उत्तर बिहार की जो नदियां इस समय उफनाई रहती थीं, वह शांत हैं। मिथिलांचल के एक बड़े इलाके में अब तक बहुत कम बारिश हुई है। फसलों पर इसका दुष्प्रभाव दिख रहा। पिछले वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा के मानक पर उद्योग लगेंगे तो यह राज्य के हित में ही होगा। लेकिन, सरकार ने इसके लिए जो मानक तय किए हैं, उनका सख्ती से पालन हो। चीनी मिलों और इस तरह के अन्य उद्योगों में देखने को मिलता है कि वे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और जिम्मेदार ध्यान नहीं देते। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य किया जाए। ऐसा होने से बिहार समग्र विकास की ओर अग्रसर होगा।

पर्यावरण संरक्षण के मानक पर उद्योगों के विकास का सरकार का निर्णय अच्छा है, लेकिन इस पर अच्छी तरह से अमल होना चाहिए

भारत विभाजन के जिम्मेदार

शंकर शरण

देश के बंटवारे के लिए जिन्ना की जिद और माउंटबेटन के रवैये के साथ भारतीय नेताओं की अनिश्चितता, थकान एवं सत्ता पाने की अधीरता का भी हाथ था

अवधेश राजपूत

हाल में एनसीईआरटी के उस माड्यूल पर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें भारत विभाजन के लिए जिन्ना और अंग्रेजों के साथ कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया। न तो पहली बार ऐसा कहा गया और न ही उस पर विवाद नया है। वास्तव में भारत विभाजन एक ऐसा बहुआयामी विषय है, जिसके विभिन्न पहलुओं को आज तक जब-तब कुरेदा जाता है। भारत विभाजन का कारण जिस एक व्यक्ति को समझा जाता है, वे थे मोहम्मद अली जिन्ना। यह अजीब विरोधाभास था कि नितांत इस्लाम विरोधी जीवनशैली वाले व्यक्ति ने इस मजहब के नाम पर अलग देश के निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लिया। जिन्ना अपनी जिद पर अड़ने और समझौते न करने वाले नेता थे, किंतु पाकिस्तान निर्माण के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था। यदि अलगाववादी मानसिकता के साथ वृहद मुस्लिम समाज उनके पीछे लामबंद न हुआ होता तो पाकिस्तान कभी नहीं बन पाता। जिन्ना मुसलमानों के नेता बन ही तभी सके, जब उन्होंने मजहबी अंदाज अपनाया। पाकिस्तान के ही लेखक अजीज अहमद ने इसे ऐसे समझाया है, 'जिन्ना ने मुस्लिम जनता का नहीं, बल्कि मुस्लिम सहमति ने जिन्ना का नेतृत्व किया। उनकी भूमिका एक साफ दिमाग वकील की थी, जो अपने मुवक्किल की इच्छा सटीक शब्दों में रख सकता था।'

इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि यदि कांग्रेस नेताओं में इस्लाम की सही जानकारी और अन्य राजनीतिक गुण रहे होते तो परिणाम भिन्न हो सकते थे। भारत एक रहता तो क्या होता, इस पर भी अंतहीन बहस हो सकती है। हालांकि 1946-47 के बीच का घटनाक्रम बताता है कि विभाजन को रोकना संभव था। ब्रिटिश सरकार फरवरी 1947 में ब्रिटिश संसद में घोषणा कर चुकी थी कि वह जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देगी। भारत का विभाजन ब्रिटिश योजना नहीं थी। न ही भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारी ऐसा चाहते थे।

व्यक्तित्वों का टकराव भी विभाजन की एक बड़ी वजह बना। जिन्ना और कांग्रेस नेताओं में एक-दूसरे के प्रति भारी दुराग्रह था। नेहरू जिन्ना को 'मामूली वकील' और अल्पशिक्षित मानते थे, जबकि जिन्ना नेहरू को 'घमंडी ब्राह्मण' समझते थे। जिन्ना में जिद, अड़ियलपन, बेरुखी और तुरंत चिढ़ जाने जैसे कई दोष थे, लेकिन आत्मबल और दृढ़ता जैसे गुण भी थे। जिन्ना में हल्कापन या कोरी हवाबाजी जैसी बात न थी। यह नेहरू के आकलन की गलती थी कि जिन्ना पाकिस्तान को लेकर गंभीर नहीं और केवल अपना महत्व बढ़ाने को हवा बांध रहे हैं। इसी गलतफहमी में नेहरू ने जिन्ना और मुस्लिम लीग की उपेक्षा की और कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार करने के बाद 10 जुलाई 1946 को मुकर गए। इसके बुरे परिणाम हुए। नेहरू के कैबिनेट मिशन संबंधी बयान के तुरंत बाद जिन्ना ने 27 जुलाई, 1946 को इस योजना को दिया समर्थन वापस ले लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान की मांग को लेकर 16 अगस्त 1946 को 'डायरेक्ट एक्शन' दिवस का आह्वान किया। तब बंगाल का प्रांतीय शासन मुसलमानों के हाथ में था और शाहिद सुहरावर्दी के पास कमान, जिसने खुल कर मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़काया। डायरेक्ट एक्शन के दौरान भीषण रक्तपात में कोलकाता (कलकत्ता) में करीब 3,000 लाशें बिछ गईं। हजारों घायल हुए।

कलकत्ता में भीषण नरसंहार के बाद केवल लार्ड वावेल वहां गए। गांधी, नेहरू और जिन्ना में से कोई नहीं गया, जिनकी अदूरदर्शिता से इतना बड़ा संहार हुआ। इसके बाद भी वावेल अविभाजित भारत बनाए रखने की कोशिश में लगे रहे। उस पर टिके रहने के लिए उन्हें अपमानित होकर पद से हटना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमति बनने के लिए ब्रिटिश सरकार बहुत इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने फरवरी 1947 में लार्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाने और जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरण करने की घोषणा कर दी। माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचे। उन्होंने सबको अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर लिया। यदि माउंटबेटन के आकर्षण से कोई बिल्कुल निर्विकार रहा, तो वे थे जिन्ना।

अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध जिन्ना प्रत्येक व्यक्ति, घटना, बयान आदि को पूरे ध्यान से देखने के आदी थे। जिन्ना अपने प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन को अपनी भावनाओं की भनक नहीं लगने देते थे, ताकि वह उसका लाभ न उठा सके। इसीलिए किसी की प्रशंसा या शिष्टाचार का जिन्ना पर कोई असर नहीं होता था। माउंटबेटन का भी नहीं हुआ।

अपनी पहली मुलाकात में गांधीजी ने माउंटबेटन को प्रस्ताव दिया कि वे जिन्ना को ही अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दें और यह जिन्ना पर छोड़ दें कि किसे वे अपने मंत्रिमंडल में लेते या नहीं लेते हैं, ताकि आपसी झंझट खत्म हो और सत्ता हस्तांतरण का रास्ता साफ हो। पहले माउंटबेटन ने इस प्रस्ताव पर विचार का आश्वासन दिया, किंतु अन्य कांग्रेस नेताओं का रुख देखकर इसे अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया। उन्होंने पाया कि नेहरू-पटेल विभाजन को लेकर मन बना चुके हैं। अंततः माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन प्रस्ताव की रूपरेखा दी, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। नेहरू-पटेल द्वारा विभाजन की बात स्वीकार कर लेने के बाद गांधीजी ने भी विरोध छोड़ दिया। राममनोहर लोहिया के अनुसार सत्ता की अधीरता में नेहरू और पटेल ने गांधीजी को बिना बताए विभाजन कर लेना पहले ही तय कर लिया था। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक (14-15 जून 1947) में लोहिया मौजूद थे, जिसने विभाजन स्वीकार किया। इसीलिए वावेल ने अपनी डायरी में लिखा, 'कांग्रेस में कोई स्टेट्समैनशिप या उदारता नहीं है।' इस तरह जिस काम के लिए ब्रिटिश सरकार ने 16 माह का समय निश्चित किया था, उसे माउंटबेटन ने पांच महीने से भी कम में निपटा दिया। इसमें उनका आत्मविश्वास और भारतीय नेताओं की अनिश्चितता, थकान और सत्ता पाने की अधीरता का भी हाथ था। इसे भूला न जाए कि यह विभाजन बहुत ही त्रासद साबित हुआ।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
esponse@jagran.com

आत्मनिर्भरता में सहायक नारी शक्ति

ऋतु सारस्वत

महिलाओं के स्वयं सहायता समूह देश को सशक्त बनाने का नवीन कथानक लिख रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की बात की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा, 'एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है, तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए, बनाए और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।' आत्मनिर्भरता भारत की संकल्पना ही नहीं, अपितु वह सत्य है, जो आत्मबल की कथा लिखती है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अपेक्षित ही नहीं, अपरिहार्य भी है। नारी शक्ति अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान बनना चाहिए। विगत एक दशक में महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भागीदार भी बन चुकी हैं। देश की आधी आबादी का सशक्तीकरण अब सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि विकास की रणनीति बनने को है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने भारत में महिला श्रम भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मुद्रा योजना से बदलते आर्थिक परिदृश्य और महिलाओं के सशक्तीकरण में उसकी अहम भूमिका की चर्चा की। मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि 13 प्रतिशत से बढ़कर 62,679 रुपये तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14 प्रतिशत बढ़कर 95,269 रुपये हो गई। ऋण वितरण में महिलाओं की अत्यधिक हिस्सेदारी वाले राज्यों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के माध्यम से काफी अधिक रोजगार सृजन किया है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में लक्षित वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यह योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्त तक पहुंच प्रदान करने में सहायक रही है।

महिलाओं के नेतृत्व में बढ़ी आर्थिक गतिविधियां। फाइल

आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव के शिल्पकार 'महिला स्वयं सहायता समूह' भी हैं, जिनकी प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्रशंसा करते हुए कहा, 'पिछले 10 साल में वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया है। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं।' स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत का नवीन कथानक लिख रहे हैं। 31 जनवरी, 2025 तक लगभग 10.05 करोड़ महिला परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली 10-12 महिलाओं का एक समुदाय होता है। एसएचजी से जुड़ी महिलाएं संयुक्त आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने या सदस्यों को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण देने के लिए संगठन बनाती हैं। भारत के स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना माना जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्वयं सहायता समूह की बैंक पुनर्भुगतान दर 96 प्रतिशत से अधिक है, जो उनके ऋण अनुशासन और विश्वसनीयता को रेखांकित करती है।

प्रधानमंत्री ने 'नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति योजना' का भी उल्लेख किया। 15 अगस्त, 2023 को प्रारंभ की गई नमो ड्रोन दीदी योजना स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी (आठ लाख रुपये तक) और प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाती है, जिससे उनकी आय सालाना एक लाख रुपये से अधिक तक बढ़ जाती है, टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण रोजगार एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 15,000 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है, ताकि कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान की जा सकें। लीक से हटकर करने की चाह को जब सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त हो तो महिलाओं को सशक्त और संबल होने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत देश भर में महिला सशक्तीकरण परियोजना चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत महिला किसानों को कृषि के आधुनिक तौर-तरीके सिखाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की परिणति 'देसी कोल्ड स्टोर' है, जो झारखंड की महिला किसान बांस से बना रही हैं। इसकी लागत पंद्रह सौ से दो हजार रुपये आती है और इससे छह महीने तक आलू खराब नहीं होते। महिलाओं के उत्थान में स्थानीय समुदायों और राष्ट्र को समग्र रूप से बदलने की क्षमता है।

(लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेरणा और उत्साह

मनुष्य का जीवन केवल सांसों की गिनती भर नहीं है, वह तो संघर्ष और संकल्प की एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, जब मार्ग कठिन हो जाता है। तब थकान पांवों से नहीं, मन से झलकने लगती है। इन्हीं क्षणों में प्रेरणा और उत्साह दीपक बनकर राह को आलोकित करते हैं। प्रेरणा वह ज्योति है जो भीतर से जाग्रत होती है। यह हमें उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। जीवन को अर्थ देती है। कभी माता-पिता का संघर्ष प्रेरणा बनता है तो कभी किसी महापुरुष की गाथा। कभी किसी अनाम साधारण व्यक्ति का अदम्य साहस भी हमें प्रेरित करता है। यह प्रेरणा ही है, जो हमें गिरकर भी उठना सिखाती है।

उत्साह जीवन का दूसरा आधार है। यदि प्रेरणा पथप्रदर्शक है तो उत्साह वह शक्ति है, जो हमें उस पथ पर गतिमान रखती है। बिना उत्साह के प्रेरणा अधूरी है और बिना प्रेरणा के उत्साह दिशाहीन। जब मनुष्य उत्साह से परिपूर्ण होता है, तब बाधाएं पर्वत नहीं, सीढ़ियां प्रतीत होती हैं। उत्साह मन की वह ऊर्जा है जो पराजय को भी अवसर के रूप में रूपांतरित करने में सक्षम है। इसलिए यदि हम भीतर की प्रेरणा को जगाएं और उत्साह को थामे रहें तो कठिनाई भी साध्य हो जाती है। मनुष्य बाहर से जितना कमजोर दिखे, भीतर से उतना ही अडिग रहकर इतिहास गढ़ सकता है।

इस संसार में जहां स्पर्धा और चुनौतियां हर कदम पर उपस्थित हैं, वहां प्रेरणा और उत्साह हमारे सबसे बड़े संबल हैं। ये हमें केवल आगे बढ़ने की शक्ति ही नहीं देते, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने का दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं। हमें यह कहना होगा कि प्रेरणा और उत्साह केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन के अमृत हैं। जो इन्हें आत्मसात कर लेता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है और जीवन केवल जीना नहीं, बल्कि एक सृजनात्मक उत्सव बन जाता है।

कुमार नृपेंद्र

ग्रामीण कुटीर उद्योगों को मिले संरक्षण

अमरपाल सिंह वर्मा

गांवों में संचालित कुटीर उद्योगों को संरक्षण मिलने से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा

राजस्थान सरकार ने हाल ही में 'विकसित राजस्थान 2047' विजन डाक्यूमेंट को मंजूरी दी है। इसमें राज्य को 2047 तक 4.3 लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य न केवल बड़े औद्योगिक निवेश बुनियादी ढांचे के निर्माण पर निर्भर करेगा, बल्कि ग्रामीण समाज की भागीदारी पर भी इसमें महत्वपूर्ण है। सरकार गांवों के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाने की इच्छुक है। यह सोच दूरदर्शी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि इसे जमीन पर उतारने का व्यावहारिक रास्ता क्या है?

अगर सरकार का सोच धरातल पर उतरता है तो गांवों में रोजगार को खूब बढ़ावा मिल सकता है। गांवों की महिलाएं बुनाई, कताई और कढ़ाई में माहिर हैं। हजारों परिवार पीढ़ियों से खादी, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की कलाकृतियां या अन्य घरेलू उद्योग चला रहे हैं, उनकी बिक्री न के बराबर है। गांवों के कुटीर उद्योग केवल रोजगार का साधन नहीं थे, वे हमारी संस्कृति और आत्मनिर्भरता की पहचान थे। लेकिन बाजार की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण कुटीर उद्योग कमजोर पड़ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग बेरोजगारी और आय की कमी के कारण शहरों का रुख कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है? एक उत्तर इसका यह हो सकता है कि मेलों के माध्यम से इसे फिर से प्रोत्साहित किया जा सकता है।

दरअसल विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के स्थानों सहित अकेले राजस्थान में ही सौ से अधिक लोक मेले हर साल आयोजित होते हैं और देश भर में इनकी संख्या हजारों में है। इन मेलों में हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में अगर राज्य के ग्रामीण कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पादों को मेलों में मंच दिया जाए तो कारीगरों को खरीदार और पहचान दोनों मिल सकते हैं। ग्रामीणों को इन मेलों में जोड़ दिया जाए तो उन्हें उत्पाद बेचने के लिए बड़ा अवसर मिल सकता है।

वहीं दूसरी ओर सरकार को गांवों के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए चरणबद्ध रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले जरूरी है कि किसी जिले के उत्पाद को उसी जिले में पहचान दिलाई जाए। जब ब्रांड वैल्यू बने तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाए। इस काम में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से गांवों के हस्तशिल्पियों, कारीगरों और बुनकरों का सर्वे कराना चाहिए। उनकी सूची बनाकर उन्हें मेलों में भागीदारी के लिए प्रेरित और सहयोग करना चाहिए। राज्य में लगने वाले मेले महज उत्सव नहीं हैं, वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का सर्वसुलभ बाजार साबित हो सकते हैं। गांवों के उत्पादों को ग्लोबल बनाने का संकल्प निश्चय ही सराहनीय है, लेकिन यह सपना तभी साकार होगा जब सरकार और समाज मिलकर ग्रामीण उद्योगों को स्थानीय से वैश्विक तक की यात्रा तय करने में सहयोग दें।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सुचारु रूप से चले संसद

'देश को निराश करती संसद' शीर्षक से लिखे आलेख में लेखक राजकुमार सिंह का पक्ष सामयिक होने के साथ-साथ चिंतनीय भी है। सांसदों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च मंदिर में वे बैठते हैं। जनता के लिए कानून बनाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंशभागी बनते हैं। हालांकि यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस संसदीय सत्र को अपनी निर्धारित अवधि तक रचनात्मक कार्य में संलग्न होना चाहिए और अपनी अनुकरणीय कार्यप्रणाली से देश में आदर्श स्थापित करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। शीतकालीन सत्र भी हंगामे के नाम रहा। लोकसभा में 37 घंटे का कामकाज हुआ तो 83 घंटे हंगामे में बर्बाद हो गए, वहीं राज्यसभा में 41 घंटे काम हुआ और 73 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए। सवाल यह भी है कि केवल करोड़ों रुपये का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि देश की जनता के हित में जो अच्छे-अच्छे कार्य हो सकते थे, वे नहीं हो सके। कानून निर्माण की प्रक्रिया में जो सुझाव, सलाह और समालोचनाएं हो सकती थीं, वे नहीं हो पाईं। सांसद सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। हंगामा करते रहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर (बिहार)

पूर्णतः आत्मनिर्भर बने देश

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से जवाब दे दिया है कि वह अपना हित साधने के लिए किस हद तक जा सकता है? परंतु उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की विदेशी नीति पूर्व की तुलना में काफी सुदृढ़ हो चुकी है। जिससे उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र, सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन), ब्रिक्स, जी-20, बिम्सटेक और शंघाई सहयोग संगठन जैसे महत्वपूर्ण संगठन शामिल हैं। इन संगठनों में भागीदारी के माध्यम से भारत वैश्विक सहयोग, आर्थिक विकास और शांति स्थापना में योगदान देता है। जिसके द्वारा भारत हर क्षेत्रों जैसे आर्थिक, व्यापारिक साझेदारी, वैश्विक राजनीति हेतु तत्पर है। हालांकि इस टैरिफ वार में भारत को कुछ हद तक नुकसान झेलना पड़ सकता है, परंतु अमेरिका का यह सोचना कि भारत हमारे साथ व्यापार न करने पर पंगु बन जाएगा, उसकी गलतफहमी है। भारत ने आत्मनिर्भर बनने की नीति का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है जिसका लाभ आज मिल रहा है। आज जरूरी है कि हम अमेरिका की दगाबाजी से सबक लें। भारत को अन्य देशों से भी सतर्क रहने की जरूरत है ताकि कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। जहां भारत विकसित राष्ट्र होने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, जाहिर है वह अन्य देशों की आंखों में खटकेगा। ऐसे में हमें आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की ओर ध्यान देना होगा।

विपिन कुमार गौतम, कल्याणपुर, लखनऊ

मेलबाक्स

लड़कियों के प्रति संकीर्ण सोच

अपने अधिकार भी जानें महिलाएं शीर्षक लेख के तहत डा. अमिता ने देश की महिलाओं का सामाजिक बुराइयों से मुक्त न होने पर अपनी राय दी है। हमारे देश की महिलाओं का अब हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार मिल रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का हो या अन्य और कोई क्षेत्र। इसी कारण आज हमारे देश की महिलाएं और लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक बुराइयों के लिए महिलाएं भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि समाज मे रूढ़ीवादी और अंधविश्वासी विचारधारा वाली महिलाएं कम नहीं हैं। सामाजिक बुराइयों का अंत करने के लिए और भारत की संस्कृति को संभालने के लिए महिलाओं को अपना सोच बदलना चाहिए। भारत सशक्त तब तक नहीं बन सकता, जब तक शत प्रतिशत लोग लड़का लड़की के बीच भेदभाव की संकीर्ण मानसिकता नहीं त्यागते और सरकार के "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" पर अमल नहीं करते।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं प्रबंध संपादक- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

52 लाख से अधिक पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण और 3.5 लाख का डिजिटलीकरण किया जा चुका है भारत में, ज्ञान भारतम मिशन के तहत, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

आजकल

तकनीक-रोजगार से भी जुड़े संस्कृत

कैलाश विश्नोई
शिक्षा मामलों के जानकार

संस्कृत अब जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हो रही है। वहां लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं। वस्तुत: संस्कृत भाषा वेद, उपनिषद एवं महाकाव्यों के माध्यम से मानवता के शाश्वत मूल्यों को संजोते हुए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रही है। संस्कृत की तार्किक संरचना और विचार अभिव्यक्ति की क्षमता इसे अन्य भाषाओं से अलग बनाती है। विश्वभर के शोध संस्थान और तकनीकी कंपनियां इसे नए सिरे से समझने का प्रयास कर रही हैं

जर्मनी स्थित कोलोन विश्वविद्यालय ने हजारों संस्कृत पांडुलिपियों का डिजिटल संग्रह तैयार कर दिया है। फाइल

संस्कृत भाषा भारत का आत्मा है। यह केवल एक भाषा नहीं, बल्कि उस महान परंपरा का वाहक है, जिसने इस देश को विश्वगुरु बनाया। उपनिषदों की गहराई, महाभारत और रामायण का शाश्वत संदेश, आयुर्वेद और ज्योतिष का वैज्ञानिक स्वरूप, गणित और खगोल का अद्भुत ज्ञान-यह सब संस्कृत में सुरक्षित है। यही भाषा हमें यह स्मरण कराती है कि कोई भी सभ्यता तभी जीवित रह सकती है, जब उसका ज्ञान-भंडार और उसकी सांस्कृतिक धरोहर पीढ़ी-दर-पीढ़ी संरक्षित और प्रसारित होती रहे।

अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में संस्कृत का अध्ययन एक शैक्षणिक जिज्ञासा भर नहीं रहा, बल्कि यह मुख्यधारा में स्थान पा चुका है। जर्मनी के विश्वविद्यालय संस्कृत को गंभीर शोध का विषय मानते हैं, जापान में बौद्ध ग्रंथों के कारण संस्कृत और पाली पर निरंतर काम हो रहा है, आक्सफोर्ड और कैंब्रिज में भारतीय दर्शन को समझने का माध्यम संस्कृत ही है। कोलोन विश्वविद्यालय ने हजारों संस्कृत पांडुलिपियों का डिजिटल संग्रह तैयार कर दिया है और भारत में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने 50 लाख से अधिक पांडुलिपियों को सुरक्षित कर लिया है। अमेरिका और यूरोप में संस्कृत मंत्रों के उच्चारण पर हुए शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि यह भाषा स्मृति, ध्यान और मस्तिष्क की क्षमताओं को विकसित करने में अद्भुत प्रभाव डालती है। आज जब दुनिया एक बार फिर जीवन के संतुलन और मानवीय मूल्यों की तलाश कर रही है, तब संस्कृत का साहित्य और दर्शन प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा है। विश्व में संस्कृत अध्ययन का प्रसार याद दिलाता है कि ज्ञान का कोई भूगोल नहीं होता।

संस्कृत का महत्व केवल अतीत की स्मृतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की तकनीक का भी मार्गदर्शन कर सकती है। इसकी व्याकरण प्रणाली जितनी परिशुद्ध और तार्किक है, उतनी ही आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मांगों के अनुरूप है। यह भाषा जटिल विचारों को अत्यंत संक्षिप्त और सुस्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि अनेक शोध इसे कंप्यूटर-अनुकूल भाषा मान चुके हैं। यह केवल एक भाषाई विशेषता नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि संस्कृत वास्तव में अतीत के ज्ञान और भविष्य की तकनीक के बीच एक सशक्त पुल बन सकती है। जब एआइ और भाषा प्रसंस्करण जैसी जटिल विधाओं को सरल और अधिक सक्षम बनाने की बात होती है, तो संस्कृत अपनी संरचनात्मक स्पष्टता और तार्किक अनुशासन के कारण स्वाभाविक रूप से एक समाधान के रूप में सामने आती है।

आज जब पूरी दुनिया अपनी सांस्कृतिक पहचान और तकनीकी दिशा के बीच संतुलन खोज रही है, संस्कृत एक अद्वितीय उत्तर प्रदान करती है। यह भाषा हमें केवल हमारे अतीत से नहीं जोड़ती, बल्कि भविष्य की राह भी दिखाती है। संस्कृत का अध्ययन केवल भारत का दायित्व नहीं, बल्कि वैश्विक आवश्यकता बन चुका है। यदि भारत अपने शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों में संस्कृत को आधुनिक शोध और डिजिटल प्रौद्योगिकी से जोड़ सके, तो यह न केवल भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि विश्व को एक नया ज्ञान-मार्ग भी देगा। संस्कृत अब केवल मंत्रोच्चार की भाषा नहीं रही, यह वैश्विक संवाद, वैज्ञानिक शोध और सांस्कृतिक चेतना का सेतु बन चुकी है। कहा सकते हैं कि यही इसकी सबसे बड़ी विजय है।

चुनौतियां : भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की जड़ों में यदि कोई भाषा सबसे गहराई से बसी है तो वह संस्कृत है। परंतु आज यह भाषा अनेक व्यावहारिक चुनौतियों से जूझ रही है। छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि संस्कृत पढ़ने के बाद रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। युवाओं की दृष्टि में जब कोई भाषा भविष्य की संभावनाएं नहीं खोलती, तो स्वाभाविक है कि उनकी रुचि घट जाती है। इसके साथ ही, पारंपरिक शिक्षण पद्धति, जिसमें रटना और जटिल व्याकरण पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, उसने भी संस्कृत को कठिन और उबाऊ बना दिया है। यही कारण है कि संस्कृत मुख्य रूप से धार्मिक और लिखित संदर्भों तक सीमित हो गई है, जबकि बोलचाल में इसका उपयोग लगभग समाप्त हो गया है।

यदि हम नई दृष्टि से सोचें तो संस्कृत को भविष्य की भाषा बनाया जा सकता है। इसे शिक्षण में रोचक और जीवंत बनाने की आवश्यकता है। रटने और कठिन व्याकरण के बोझ से हटाकर कहानी, संवाद व डिजिटल साधनों के माध्यम से इसे सरल और आकर्षक बनाया जा सकता है। कार्यशालाओं के जरिए इसे बोलचाल की भाषा के रूप में पुनः जीवंत किया जा सकता है। मोबाइल एप्स, आनलाइन कोर्स आदि से इसे डिजिटल युग के अनुकूल ढाला जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार का विस्तार। संस्कृत का ज्ञान केवल अध्यापन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अनुवाद, पुरातत्व, आयुर्वेद, योग, एआइ, भाषाई प्रौद्योगिकी- इन सभी क्षेत्रों में संस्कृत की व्यापक भूमिका हो सकती है। यह अवसर केवल विद्वानों के लिए ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अनुसंधान और नवाचार से ही भाषा जीवित रहती है। यदि संस्कृत को गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक शोध से जोड़ा जाए तो इसकी प्रासंगिकता और बढ़ेगी।

आगे की राह : संस्कृत को पुनर्जीवित करने की राह केवल कक्षा या पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं हो सकती। इसे सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह भाषा यदि परिवार, समाज और मीडिया में स्थान पाएगी, तभी उसका पुनर्जागरण संभव होगा। संस्कृत केवल अतीत का गौरव नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी कर सकती है। उपनिषद का संदेश 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' आज भी उतना ही आवश्यक है जितना हजारों वर्ष पहले था। भारत को इस वैश्विक पुनर्जागरण की आहट को समझना चाहिए। यदि जर्मनी, जापान और अमेरिका संस्कृत को नए उत्साह से अपना सकते हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? सरकार, शैक्षिक संस्थान और समाज यदि मिलकर संस्कृत को जीवन के केंद्र में लाएं तो यह भाषा फिर से नई ऊर्जा से भर उठेगी। संस्कृत का पुनर्जागरण वास्तव में भारत के आत्मा का पुनर्जागरण होगा। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य की ओर ले जाएगा। यही वह राह है जो भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व के सामने उसकी संपूर्ण गरिमा के साथ प्रस्तुत कर सकती है।

सरकारी प्रयासों से संस्कृत का उत्थान

संस्कृत को लेकर जो तस्वीर आज हमारे सामने है, वह केवल अतीत के वैभव की पुनः स्मृति भर नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा का संकेत भी है। यह भाषा केवल मंत्रों और श्लोकों की ध्वनि नहीं, बल्कि ज्ञान की वह धारा है जिसने सैकड़ों वर्षों से मानवता को पोषित किया है। भारत सरकार के हालिया प्रयासों, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना, ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और विश्व संस्कृत दिवस का आयोजन आदि ने संस्कृत को आधुनिक संदर्भों में जीवंत बनाने का संकल्प दर्शाया है। ये सरकारी प्रयास न केवल संस्कृत के गौरवशाली अतीत को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं। आज यह देखना सुखद है कि सरकार और समाज, दोनों स्तरों पर संस्कृत को पुनर्जीवित करने का गंभीर प्रयास हो रहा है।

इतिहास गवाह है कि संस्कृत में संचित पांडुलिपियां ज्ञान का अथाह भंडार हैं। जब ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा हुई और 500 करोड़ रुपये के बजट से दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य शुरू हुआ, तो यह स्पष्ट हो गया कि अब हम केवल संरक्षण नहीं, बल्कि पुनर्सृजन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। 52 लाख से अधिक पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण और 3.5 लाख का डिजिटलीकरण इस प्रयास की गंभीरता को दर्शाता है। यह कार्य केवल किताबों के पन्ने बचाने का नहीं, बल्कि उस ज्ञान को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का है जो भारतीयता का मूल है।

शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत का पुनःप्रवेश सबसे बड़ा संकेत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान प्रणाली को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की जो बात कही, उसमें संस्कृत की भूमिका केंद्र में है। यह नीति केवल पाठ्यक्रम का सुधार नहीं करती, बल्कि यह सोच बदलती है कि भाषा का अर्थ केवल संचार नहीं होता, बल्कि यह संस्कृति और विज्ञान दोनों की जननी हो सकती है। देश भर में स्थापित संस्कृत शिक्षण केंद्र, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण का नया वातावरण तैयार कर रहे हैं। यह देखकर संतोष होता है कि संस्कृत अब केवल वैकल्पिक विषय नहीं रह गई है, बल्कि शोध और वैश्विक संवाद के अवसर खोल रही है।

विश्व संस्कृत दिवस को हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मनाना भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह केवल एक दिवस का आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृत के महत्व का सार्वजनिक उद्घोष है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि यह भाषा हमारी पहचान का हिस्सा है और इसका उत्थान केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प है। यह सब मिलकर एक बड़े पुनर्जागरण की तस्वीर खींचते हैं। आज जब दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल संवाद और वैश्विक सांस्कृतिक संकट से जूझ रही है, तब भारत ने संस्कृत को केंद्र में रखकर यह संदेश दिया है कि समाधान हमारे पास है, हमारी अपनी परंपरा में है। आज आवश्यकता केवल इतनी है कि समाज भी इन प्रयासों को अपनाए और संस्कृत को केवल शास्त्रों की भाषा मानने की भ्रांति से बाहर निकले। जब सरकार और समाज दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, तभी परिवर्तन स्थाई होता है।

(कैलाश विश्नोई)

खरी-खरी

कोसी नदी

नई दिल्ली में सांसदों के लिए एक नए आवासीय परिसर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे कोसी परिसर नाम दिया है। उसके बाद से कोसी चर्चा में है। जानते हैं कोशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :

उद्गम और मार्ग : कोसी नदी की उत्पत्ति नेपाल में हिमालय से होती है, जो लगभग सात हजार मीटर की ऊंचाई पर है। यह सात सहायक नदियें- तमोर, अरुण, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, लिखु, और भोटे कोसी के संगम से बनती है, इसलिए इसे ''सप्तकोसी'' भी कहते हैं। यह बिहार में भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है और कटिहार के पास गंगा में मिलती है।

बिहार का शोक : कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील धारा और मानसून के दौरान तेज बहाव के कारण बार-बार बाढ़ लाती है।

पौराणिक : हिंदू पौराणिक कथाओं में कोसी को ''कौशिकी'' कहा गया है और इसका उल्लेख महाभारत और रामायण में मिलता है। माना जाता है कि यह नदी महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि थी। इसके तट पर पिंडदान, श्राद्ध कर्म और छठ पर्व जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नेपाल में बराहक्षेत्र मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसके तट पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है।

कोसी परियोजना और बांध : बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से कोसी परियोजना शुरू की थी। 1958-62 के बीच नेपाल-भारत सीमा पर कोसी बैराज बनाया गया, जिसमें 56 द्वार हैं। इससे पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर प्रणालियों विकसित की गईं, जो बिहार में आठ लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई करती हैं। यह नदी उत्तरी बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जो सिंचाई और पेयजल प्रदान करती है। यह क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है, जिससे कृषि और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है।

पर्यावरणीय प्रभाव : कोसी नदी अपने साथ बालू और कंकड़ लाती है, जिससे मैदानी इलाके उपजाऊ तो बनते हैं, लेकिन बाढ़ के कारण भूमि कटाव और विस्थापन की समस्या भी उत्पन्न होती है।

(स्टार मिथिला न्यूज फेसबुक वाल से संपादित अंश, साभार)

X पोस्ट

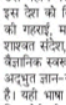

आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा पर अपनी बात रखते हुए मोहन भागवत ने शुरू में जो कहा, वह बात समझने लायक है-संघ के बारे में जब चर्चा हो तो धारणा के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर हो..।
रुबिका लियाकत@RubikaLiyaquat

एक ऐसे समय में जब हम सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तब हमें यह भी अवश्य सोचना होगा कि बढ़िया सड़कें बनाना हमारे लिए अभी भी क्यों इतनी बड़ी चुनौती बनी हुई है?
रणवीर शौरी@RanvirShorey

भारत और शेष विश्व शायद ट्रंप के बचे हुए साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल को झेल जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका यह झेल पाएगा?
सुशांत सरीन@sushantsareen

ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो यूक्रेन युद्ध को 'मोदी का युद्ध' बता रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी पश्चिमी नेता ने युद्ध का इतना मुखर विरोध किया हो, जितना मोदी अक्सर करते रहे हैं।
माइकल कुगेलमैन@MichaelKugelman

जागरण जनमत कल का परिणाम

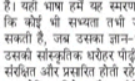

क्या संघ प्रमुख की ओर से हिंदुत्व का अर्थ समझाए जाने के बाद आरएसएस विरोधियों का रवैया बदलेगा?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या ट्रंप टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए निर्यातकों को राहत पैकेज मिलना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

नैतिकता रख ताख पर चला करे सरकार,
चाहे बैठा जेल में हो उसका सरदार।
हो उसका सरदार यही है उनकी इच्छा,
अब तो बस भगवान करे भारत की रक्षा!
इनका क्षुद्र ज़मीर थोक मंडी में बिकता,
बची न बिल्कुल आज सियासत में नैतिकता !!
- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

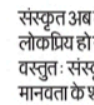

बंद खदानों से खुलेंगे विकास के द्वार

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड में एक हजार से भी अधिक खदानें बंद हैं, जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। विदेश में इसका उपयोग पर्यटन, मछली पालन सहित अन्य संबंधित कार्यों में किया जाता है। खुली खदानों में पर्याप्त जल भंडारण कर जल संरक्षण की दिशा में बेहतर काम किया जा सकता है। हालांकि झारखंड में बाक्साइट की खदानों का उपयोग किया जा रहा है, उसे भरकर फिर से जंगल उगाने यानी पौधरोपण का काम किया जा रहा है। इस दिशा में एक काम और किया जा सकता है, जिस ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इशारा किया है। प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे से सीएम ने कहा था कि खनन कार्य संपन्न हो जाने के बाद केंद्र सरकार जमीन राज्य सरकार को वापस कर दे, ताकि मूल रैयतों को लौटाया जा सके। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन और आधारभूत संरचना के विकास में सुविधा होगी।

यह सब जानते हैं कि देश के 40 प्रतिशत खनिज का उत्पादक झारखंड है। खनन के लिए दो तरह की जमीन ली जाती है- जंगल और रैयतों की। झारखंड में कई कोयला खदानें बंद हो चुकी हैं। इन खुली खदानों में जल का अकूत भंडार है। इसका उपयोग हम खेती, उद्योगों और नल-जल योजना से जोड़ सकते हैं। इससे हम धरती के भीतर के जल दोहन से बच सकते हैं और नए-नए डैम या जलाशय के अतिरिक्त खर्च से भी। दूसरा, हम ऐसे खदानों को रैयतों को वापस कर सकते हैं, ताकि उनका वे दोबारा उपयोग कर सकें। जहां जंगलों को उजाड़कर खनन का काम हुआ, वहां उसे पाटकर हम फिर से पौधरोपण कर सकते हैं। कुछ जगहों पर हुआ भी है और इसकी जिम्मेदारी भी खनन कंपनियों की होती है, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण कंपनियां अपना पूरा काम नहीं कर पातीं।

बंद पड़ी खदानों का अन्य कार्यों के लिए नए सिरे से उपयोग किया जा सकता है। फाइल

राज्य सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हम खदानों के जल का उपयोग बिजली निर्माण, पर्यटन और अन्य कार्यों में कर सकते हैं। विदेश में यह काम तेजी से हो रहा है। वहां इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण, पर्यटन स्थल के रूप में विकास, नौकायन, मछली पालन, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। इससे यह लाभ है कि भूमि का स्थाई उपयोग हो जाएगा। स्थानीय समुदायों को आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इन बंद खदानों से विकास के द्वार खुलेंगे और राज्य की तस्वीर भी बदलेगी। यह काम जर्मनी, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि देशों में तेजी से हो रहा है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआइ) ने हाल ही में अपने अध्ययन को कोयला मंत्रालय को भेजा है, जिसमें बताया गया है कि पूरे देश में करीब 400 बंद खदानें हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है।

बंद खदानों में सौर ऊर्जा की क्षमता बहुत अधिक है। आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका आदि परित्यक्त खदानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। इससे स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा भी मिलेगी और कोयले पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश खदानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां पर्यटन खनन के इतिहास-भूगोल की जानकारी दे रहे हैं।

हालांकि प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। हमें भी ऐसी प्रणाली को विकसित करना चाहिए। यह भी ठीक है कि जिन खदानों का उपयोग बंद हो गया है और बेकार पड़ी हैं, उन्हें रैयतों को वापस करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर है, यह केंद्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इससे हम बंजर हो चुकी धरती को हरा-भरा कर सकते हैं। जहां कम गहराई है, उसे पाटकर खेती कर सकते हैं। इस तरह स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार को भी हेमंत सोरेन की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इससे हम पर्यावरण के सुधार में कदम उठा सकते हैं, कटते जंगलों की कुछ हद तक भरपाई कर सकते हैं, अनाज उत्पादन से जल भंडारण की एक बड़ी कमी को भी पूरा कर सकते हैं। राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करना चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि कोयला मंत्रालय इस पर अपनी गंभीरता दिखाएगा।

मंथन

देश के प्रति नागरिक कर्तव्य

डा. वेद प्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में सरकार अग्रसर है। ऐसे में अपने कर्तव्यों को समझते हुए प्रत्येक नागरिक को भी संबंधित जिम्मेदारी के अनुरूप आचरण करना होगा

आदर्श तरीके से हो यातायात नियमों का पालन। फाइल

नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के ज्ञान और निर्वाह के बिना संकल्प से सिद्धि का मार्ग बाधित होता है। इसलिए आज व्यापक स्तर पर यह आवश्यक है कि संविधान सम्मत नागरिक कर्तव्यों का प्रचार-प्रसार हो। विकसित भारत के संकल्प में सभी को अधिकार मिलें इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सभी नागरिक कर्तव्यों का पालन भी करें। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसके जरिए अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनें। न्यायपालिका एवं संविधान सम्मत संस्थाओं में विश्वास रखें। लेकिन कई बार देखने में आता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते अथवा जाति एवं क्षेत्रीयता आदि के प्रभाव में आकर अपराधी प्रवृत्ति वाले जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। कई बार हमारे जनप्रतिनिधि निहित स्वार्थों एवं राजनीतिक लाभ के लिए संविधान सम्मत बने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का ही विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, वे विपक्ष के नाम पर न्यायपालिका के निर्णयों और संसद में बनाए गए कानूनों के प्रति भी अविश्वास फैलाने का प्रयास करते हैं।

वस्तुत: जाति, संप्रदाय, भाषा एवं क्षेत्रीयता के झगड़े दिन-प्रतिदिन सामान्य होते जा रहे हैं। इन आधारों पर एक दूसरे से वैमनस्य बढ़ रहा है। समान भ्रातृत्व की भावना को आघात पहुंचाया जाता है, क्या यह संविधान सम्मत मूल कर्तव्यों के अनुरूप है? विगत दिनों आपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य अभियान पर नकारात्मक टिप्पणियां की गईं। आपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद भारत के विरुद्ध जासूसी करने वाले दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये देश के ऐसे नागरिक हैं जो कुछ रुपयों के लालच में देश की एकता एवं अखंडता से खिलवाड़ कर रहे थे। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जासूसी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है एवं राष्ट्र के साथ विश्वासघात है।

विडंबना यह भी है कि कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद के अंदर और बाहर सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठाकर उनका मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं, क्या यह नागरिक कर्तव्यों के विरुद्ध नहीं है? भारतवर्ष का संविधान जनप्रतिनिधियों के आचरण और दायित्व पर भी निर्देश करता है, किंतु पिछले लंबे समय से कई जनप्रतिनिधि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम मशीन खराब हैं, चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के इशारों पर काम करता है, वोट चोरी हो रही है, सरकार केवल पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है जैसे बेबुनियाद आरोपों के सहारे राजनीतिक स्वार्थों के एजेंडे चला रहे हैं, जो समाज में आक्रोश बढ़ाने और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम करते हैं। क्या इस प्रकार का आचरण नागरिक कर्तव्यों की अवहेलना नहीं है?

पर्यावरण प्रदूषण के प्रति कर्तव्य : आज प्रकृति-पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्यजीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इनका दोहन और इन्हें प्रदूषित करना जारी है। कई नदियां मर चुकी हैं अथवा भयंकर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। वन क्षेत्र के लगातार घटने से वन्यजीवों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो रहा है। अनुचित तरीके से वृक्षों को काटने वाले, नदी, झीलों और प्रकृति-पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कौन हैं? क्या यह संविधान सम्मत नागरिक कर्तव्यों के विरुद्ध नहीं है? समय-समय पर धरने-प्रदर्शनों के चलते सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा देना, तोड़फोड़ और छोटी-छोटी बातों पर हिंसा सामान्य होते जा रहे हैं, जबकि नागरिक कर्तव्यों में इनके निषेध की बात कही गई है।

जिम्मेदार नागरिक : यातायात के नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन अकेले राष्ट्रीय राजधानी में विगत छह वर्षों में यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर लगभग चार करोड़ चालान काटे गए हैं, क्या यह दूसरों के जीवन से खिलवाड़ और नागरिक कर्तव्यों की अनदेखी नहीं है? आज भी लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, क्या यह शिक्षा के अधिकार और मूल कर्तव्यों की अनदेखी नहीं है? जनप्रतिनिधियों पर राष्ट्र कल्याण के कार्य करने और नागरिकों के सकारात्मक मानस निर्माण का दायित्व होता है, लेकिन विडंबना है कि आज विभिन्न जनप्रतिनिधि ही देश के विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रकार के दुष्प्रचार का हिस्सा बन रहे हैं। हमारी ज्ञान परंपरा में अनेक स्थानों पर कर्तव्यों के पालन की बात कही गई है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ और विभिन्न मंत्रालयों के लिए बन रहे नए भवनों के नाम कर्तव्य भवन करने के पीछे उद्देश्य यही है कि प्रत्येक नागरिक कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन से अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बने।

आज जब एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे कर चुका है, तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र की मजबूत नींव बने। इसके लिए संविधान सम्मत अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों के प्रचार-प्रसार और जन जागरण की आवश्यकता है। आज यह भी आवश्यक है कि संविधान सम्मत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य भी विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनें। कर्तव्यों का पालन करते हुए ही ऐसे नागरिकों का निर्माण हो सकता है जो विकसित भारत के संकल्प को प्रतिबद्धता से पूरा करेंगे।

हिन्दुस्तान 1936

संभल की रिपोर्ट

संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और अनुकरणीय भी। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे संभल की बदलती जनसांख्यिकीय हकीकत का कुछ पता चलेगा और अनुकरणीय इसलिए कि इस रिपोर्ट के आधार पर संभल में सुधार के प्रयासों को तेज किया जा सकेगा। इस पूरी रिपोर्ट को नकारात्मकता के साथ देखने के बजाय इससे जरूरी संदेश ग्रहण करना चाहिए। वक्त के साथ किसी भी स्थान की जनसांख्यिकीय में बदलाव आता है और अगर संभल में भी आया है, तो उस पर गौर करने की जरूरत है। बदलती जनसांख्यिकीय को लोग अपने-अपने ढंग से देखेंगे। ध्यान रखने की बात है कि पिछले वर्ष संभल हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित हुई थी। इसने लगभग 450 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें संभल में होने वाले दंगों की भी विवेचना है। पिछले साल 24 नवंबर को यहां जो हिंसा हुई थी, उसे लोग अभी भूले नहीं हैं और ताजा रिपोर्ट इस हिंसा पर भी रोशनी डालती है। इस समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है।

रिपोर्ट में कुछ पहलू महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, जिन पर रोशनी डालने की जरूरत है। क्या संभल में हिंदुओं की आबादी घट रही है? वैसे आजादी के समय भी संभल में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा थी। आजादी के समय संभल में अगर 45 प्रतिशत हिंदू थे, तो आज उनकी आबादी घटकर करीब 15 प्रतिशत रह गई है। कोई आश्चर्य नहीं, जब संभल के नगरपालिका क्षेत्र में हिंदू आबादी घटी है, तो दूसरे वर्ग का प्रभाव बढ़ा है। बताया जाता है कि एक समय संभल में 68 तीर्थस्थल और 19 पवित्र कुएं थे, जिनमें से कई पर धीरे-धीरे अतिक्रमण हो गया। यहां हमें यह देखना चाहिए कि पिछले साल की हिंसा के बाद संभल में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनरुद्धार की योजना शुरू की है। प्रायः लुप्त हो चुके अनेक तीर्थ या धर्मस्थलों को सुधारने की कोशिश हो रही है। संभल हिंसा ने अनेक लोगों को सजग किया है, वरना क्या जरूरत है कि पुराने धर्मस्थलों को पुनर्जीवित किया जाए! आमतौर पर हिंदू जब किसी इलाके को छोड़कर जाते हैं, तो अपने मंदिरों को साथ नहीं ले जाते हैं। अपने मंदिरों को छोड़ देना या उनकी जमीन को बेच देने की सराहना नहीं की जा सकती। जब अपने मंदिरों की कद्र नहीं है, तो उनकी कद्र दूसरा भला क्यों करेगा?

संभल हिंसा या दंगे पर तीन सदस्यीय समिति की यह रिपोर्ट राजनीति के काम नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था के काम आए। समाज और सद्भाव के काम आए।

यह अचानक नाराज हो जाने का विषय नहीं है। यह आगे के लिए चिंता और तैयारी का विषय है। यह रिपोर्ट राजनीति के काम नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था के काम आए। यह रिपोर्ट समाज के काम आए। किसी समुदाय की बढ़ती या घटती आबादी हमें समझदारी से सोचने की प्रेरणा देती है। अगर कहीं कोई वर्ग किसी दूसरे समुदाय को सताने लगे, तो यह एक चिंता की बात है और इस पर पुलिस को कड़ी निगाह रखनी चाहिए। संभल एक मिसाल है, वहां 1947 से अब तक 15 दंगे हुए हैं और जिस समुदाय की आबादी घटी है, उसे पीड़ित मानने में कोई हर्ज नहीं है, पर इतने दंगे आखिर क्यों हुए? क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता था? जब आप दंगों को रोकने में नाकाम होते हैं, तब वह दंगा स्थानीय जनसांख्यिकीय को बदलने लगता है। हम स्वाभाविक प्रक्रिया में जनसांख्यिकीय को बदलने से नहीं रोक सकते, पर कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित कर दें, तो शायद जनसांख्यिकीय में नकारात्मक बदलावों पर काबू पा सकते हैं। वैसे, एक बड़ी चुनौती समाज में फैल रही नकारात्मकता है, जिसका इलाज करना होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 29 अगस्त, 1950

यूरोप खतरे में!

श्री चर्चिल का विशिष्ट व्यक्तित्व है और द्वितीय महायुद्ध के संकट में जिस तरह उन्होंने ब्रिटेन की नाव पार लगाई, उससे संकट के समय उनकी उपयुक्तता की धाक जम गई है। अतः आकाश में जब संकट के बादल उमड़ते हुए मालूम पड़ते हैं, तो चर्चिल साहब की वाणी को खुलकर बोलने का अवसर मिलता है। लोग उसे सुनते भी हैं और संकट सचमुच न हो, तो भी उसकी भीति उनके ऊपर सवार हुए बिना नहीं रहती। ऐसा ही वातावरण, हम समझते हैं, चर्चिल साहब के उस भाषण से बनेगा, जो अपने राष्ट्र के प्रति रेडियो से इसी रविवार को उन्होंने किया है।

श्री चर्चिल एक ओर कहते हैं कि उनके खयाल में विश्व-युद्ध सन्निकट नहीं है, दूसरी ओर वह यह भी कहते हैं कि यूरोप इस समय बड़े खतरे में है और संकट कोरिया के बजाय यूरोप में कहीं अधिक नजदीक है। 'मेरी आंखें इस समय कोरिया पर नहीं हैं', यह बताकर वह कहते हैं कि 'तिब्बत और फारस पर भी शीघ्र ही साम्यवादियों के आक्रमण हो सकते हैं, परन्तु सबसे अधिक खतरा यूरोप में ही है।' पश्चिमी जर्मनी के चांसलर डॉ. एडेनौर का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि जर्मनी के रूस-अधिकृत भाग (पूर्वी जर्मनी) में भारी शस्त्रास्त्र से लैस साम्यवादी सेनाएं तैयार की गई हैं, जिनके प्रकट और छद्म सैनिकों की संख्या लाखों पर पहुंचती है, और कहा है कि क्या यह वही तरीका नहीं है जो रूस ने उत्तरी कोरिया में अपनाया है? इस प्रकार खतरे को इंगित करके वह कहते हैं कि युद्ध शुरू हो, उस बीच जो भी दो या तीन वर्ष का समय हमें मिले, उसका उपयोग ऐसी प्रतिरक्षा-व्यवस्था कायम करने में करना चाहिए, जिससे युद्ध के समय हम बेजोड़ साबित हों।

जहां संभावना के बजाय युद्ध मूर्त रूप ले चुका है, उस कोरिया से भी अधिक खतरा उस यूरोप में है, जहां अभी केवल उसकी संभावना ही है, यह बात मुश्किल से ही गले उतरेगी। किन्तु हमें जानना चाहिए कि चर्चिल उन लोगों में से हैं, जिनके लिए दुनिया केवल सफेद या मुख्यतः यूरोप में है। रंगीन या एशियाई लोगों की समस्याएं उनके लिए गौण रही हैं और अब भी गौण ही हैं। इसीलिए यूरोप की संभावना भी एशिया की वास्तविकता से अधिक महत्वपूर्ण ही मानी जायेगी।

भारत-जापान दोस्ती का नया दौर

संजय कुमार वर्मा | पूर्व भारतीय राजदूत, जापान

प्रधानमंत्री की जापान यात्रा में भविष्य की राह पर जोर रहेगा। दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अच्छे साझेदार होने की नहीं, बल्कि एशिया के भविष्य का निर्माता बनने की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय जापान यात्रा उस सिलसिले की अगली कड़ी है, जिसने इन दोनों एशियाई देशों की पुरानी मित्रता को 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारियों में से एक बनाया है। साल 2014 की अपनी पहली टोक्यो यात्रा के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक विश्वास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण की बुनियाद पर भारत-जापान संबंधों को लगातार मजबूत किया है।

आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को जापान से मिला समर्थन इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के रिश्ते सन् 1947 से पहले भी मित्रतापूर्ण थे। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जापान को अपमानित करने वाली सैन फ्रांसिस्को शांति संधि का समर्थन करने से भारत ने इनकार कर दिया था और 1952 में जापान की पूर्ण संप्रभुता को इसने मान्यता देने का फैसला किया था। इन घटनाओं ने जापानियों के मन में भारत के प्रति सद्भावना का एक ऐसा भंडार बनाया, जो आज तक कायम है। पिछले एक दशक में जापान में शिंजो आबे, योशीहिदे सुगा, फुमियो किशिदा और अब शिगेरु इशिबा प्रधानमंत्री हुए। इन सबको प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक ऐसे साझेदार मिले, जो प्रतीकात्मक सद्भावना को व्यावहारिक सहयोग में तब्दील करने को लेकर हमेशा तत्पर रहे।

इस सहयोग के नतीजे भारत में आसानी से देखे जा सकते हैं। हालांकि, सिंगापुर की तुलना में जापान का निवेश बहुत कम है, फिर भी भारत में 42 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जापानी मदद से भारत के विभिन्न शहरों में मेट्रो, दिल्ली-मुंबई महत्वाकांक्षी औद्योगिक गलियारा और मुंबई-अहमदाबाद पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को गति मिली है। भारत की शहरी नवीकरण परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी योजनाओं में जापानी छाप साफ देखी जा सकती है। स्वच्छ ऊर्जा, कौशल व प्रौद्योगिकी में साझेदारी ने बुनियादी ढांचे में सहयोग को विस्तार दिया है। अहम बात यह है कि जापानी निवेश मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नवीकरणीय ऊर्जा व उन्नत विनिर्माण योजनाओं जैसी हमारी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस साझेदारी को स्थायित्व प्रदान करते हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र इस गठजोड़ का असली मंच बन गया है। जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र पूरब बनता जा रहा है, इसे टिकाऊ बनाने में भारत और जापान का महत्व बढ़ गया है। ये दोनों देश एक समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था के हिमायती हैं, ताकि इस क्षेत्र पर किसी का एकाधिकार न होने पाए। किसी बड़ी शक्ति द्वारा इस समुद्री क्षेत्र में दादागिरी जमाने, भू-राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में संवेदनशील आपूर्ति शृंखला और प्रभुत्व जमाने के लिए तकनीकी दुरुपयोग को लेकर दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं। यही कारण है कि दोनों देशों ने इन चिंताओं को अपनी साझा रणनीति में बदल दिया है।

इसके लिए उन्होंने 'क्वाड' के जरिये क्षेत्रीय सहयोग को नया आकार दिया है। बुनियादी ढांचे, टीके के निर्माण, महत्वपूर्ण तकनीकी, व्यापार, निवेश और जलवायु कार्रवाई के कदमों को आगे बढ़ाया है। दोनों देशों के संयुक्त नौसैन्य अभ्यासों और रक्षा संवादों से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। निस्संदेह, ऐसे मौकों पर नेताओं के व्यक्तिगत रिश्ते भी अहम मायने रखते हैं। शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी की आपसी समझ ने दोनों देशों के संबंधों में अहम भूमिका अदा की है, जो परस्पर भरोसे पर आधारित है। जापान की घरेलू राजनीति में बार-बार नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद भारत ने इस दिशा में अपनी नीतिगत निरंतरता बनाए रखी।

हालांकि, दोनों देशों के संबंधों में चुनौतियां भी कई हैं। टोक्यो के दृष्टिकोण से भारत के जटिल नियम-कानून, परियोजनाओं की मंजूरी में देरी व दीर्घकालिक नीतिगत आकलन का अभाव बड़ी समस्याएं हैं। दूसरी ओर, जापान को लेकर नई दिल्ली की अपनी चिंताएं हैं। वहां की धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था, निवेश पर असर डालने वाली बुजुर्गों की बढ़ती आबादी या शांतिवादी राजनीति की बोझ वाली अति सतर्क कूटनीति भारत को चिंतित करती है। यदि दोनों देशों को आपसी सहयोग को मजबूत करना है, तो उन्हें इन खाइयों को पाटने के तरीके खोजने होंगे और टकराव के बिंदुओं को सुधार के अवसरों में बदलना होगा।

ऐसे में, प्रधानमंत्री की आज से शुरू होने वाली यात्रा में भविष्य की राह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। अब ध्यान परियोजनाओं पर नहीं, वैश्विक मंचों पर केंद्रित होना चाहिए। सेमीकंडक्टर, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और दुर्लभ मृदा प्रौद्योगिकियों में आने वाले जापानी निवेश दोनों देशों के संयुक्त तकनीकी भविष्य तय कर सकते हैं। हाइड्रोजन, तटीय पवन ऊर्जा व बैटरी भंडारण में संयुक्त उद्यम दोनों को वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा के मामले में अग्रणी स्थान दिला सकते हैं। दोनों देशों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स के संयुक्त अनुसंधान केंद्र उन्हें आगामी डिजिटल-औद्योगिक क्रांति का आधार प्रदान कर सकते हैं। चूंकि डाटा डिजिटल युग की मुद्रा बन गया है, इसलिए भारत और जापान को साइबर सुरक्षा, विश्वसनीय डाटा प्रवाह और वैश्विक मानक गढ़ने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

अर्थशास्त्र से परे दोनों देशों को मानवीय संबंध भी मजबूत करना चाहिए। जापान में भारतीय युवाओं का भाषायी प्रशिक्षण, छात्रों का आवागमन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और उद्योग-संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारी युवा शक्ति को औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ने और पीढ़ियों के बीच जीवंत साझेदारी रच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत-जापान संबंध दो सभ्यताओं के बीच का संबंध हैं। दोनों देशों में लोकतंत्र, खुलेपन और संप्रभुता के सम्मान के मूल्यों ने इस साझेदारी को नैतिक आधार प्रदान किया है।

इस तरह, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान से समर्थन मांगने से शुरू हुई कहानी अब एक स्वतंत्र, समावेशी और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण में अभिव्यक्त हो रही है। दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अच्छे साझेदार होने की नहीं, बल्कि एशिया के भविष्य का निर्माता बनने की है। एशिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले भारत की जिम्मेदारी न केवल अपने हितों की रक्षा करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र खुला, बहुलवादी और निष्पक्ष बना रहे। दुनिया देख रही है और क्षेत्र सुन रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

बच्चों को खेल-मैदानों में जल्द से जल्द उतारना होगा

अनादि बरुआ | पूर्व राष्ट्रीय कोच, फुटबॉल

आज 'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यानचंद की जयंती है। मेरा सौभाग्य है कि उनके बेटे अशोक कुमार, जो खुद एक महान खिलाड़ी हैं, मेरे अच्छे मित्रों में एक हैं। आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल सिर्फ जीत-हार से नहीं, बल्कि फिटनेस, समर्पण और अनुशासन से भी जुड़ा है। संभवतः यही वजह है कि इस साल तीन दिनों के राष्ट्रीय फिटनेस व खेल आंदोलन के रूप में यह दिवस मनाया जा रहा है।

देश में खेल संस्कृति पहले काफी कमजोर थी। खेलों के लिए बजटीय आवंटन बहुत कम होते थे। मगर अब खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर काफी कुछ किया जा रहा है। वास्तव में, खेलों को लेकर सोच में बड़ा बदलाव वर्ष 2017 में आया, जब भारत ने फीफा अंडर-17 विश्व कप का आयोजन किया। यह पहला मौका था, जब भारत किसी फीफा कप की मेजबानी कर रहा था। यह वैश्विक फुटबॉल में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रदर्शन था, जिसे 200 देशों में देखा गया था। नतीजतन, इसने भारतीय फुटबॉल और भारतीय खेलों को एक नई पहचान दी। आज आलम यह है कि केंद्र सरकार के सहयोग से हर राज्य संघ अपने यहां स्टेडियमों, बुनियादी ढांचे, खिलाड़ियों के खान-पान व प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

खिलाड़ियों को अधिकाधिक निखारने के लिए हमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर विशेष-

हालांकि, यहां यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पुराने समय के कई ऐसे अच्छे खेल आयोजन अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। दिल्ली में ही डीसीएम कप, डूरंड कप, चीफ मिनिस्टर्स कप, शास्त्री कप, गवर्नर्स कप जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट नियमित तौर पर होते थे, लेकिन अब ये यादों में रह गए हैं। कोलकाता में भी, जहां फुटबॉल को लेकर दीवानगी देखी जाती है, खेले जाने वाले आईएफए शील्ड, रोवर्स कप, फेडरेशन कप जैसे टूर्नामेंट अब या तो बंद हो गए या फिर अप्रासंगिक बन गए हैं। एक समय था, जब यहां करीब 1,500 फुटबॉल टूर्नामेंट खेले जाते थे।

सवाल है कि आगे की रूपरेखा क्या हो? हमें कुछ प्रयास निचले स्तर से शुरू करने होंगे। मसलन, स्कूलों, गांवों और दूरदराज के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा खेल आयोजित किए जाने चाहिए। बेशक, 'खेलो इंडिया' जैसे आयोजन हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे प्रशिक्षण केंद्रों को बनाया जाना या सरकारी सहयोग से स्कूली मैदानों का प्रभावी उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। खेलों की बुनियादी बातें सीखने के लिए बच्चों को जल्द से जल्द मैदान में उतारना जरूरी है। माना यही जाता है कि पांच से 10 साल का बच्चा बुनियादी बातें आसानी से सीख लेता है। इसी तरह, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भी अतिरिक्त काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां मुकाबले और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। खिलाड़ियों को अधिकाधिक निखारने के लिए हमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, खेल के मैदान, नियमित मैत्रीपूर्ण मैच के आयोजन और अंतर-राज्यीय टूर्नामेंट की दरकार है। वहीं, खिलाड़ियों को अपने समग्र विकास के लिए खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

रही बात अंतरराष्ट्रीय स्तर की, तो विदेश में खेलने वाले खिलाड़ियों को हरसंभव समर्थन दिया जाना चाहिए। फिर चाहे वह अच्छे प्रशिक्षकों या पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण ही क्यों न हो। ऐसे पेशेवर मार्गदर्शन खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनमें ऊर्जा व आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।

वास्तव में, स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की इस पूरी यात्रा में तालमेल बिठाकर हम देश में एक मजबूत खेल संस्कृति बना सकते हैं। प्रतिस्पर्द्धाओं की कमी का सीधा असर राज्यों, गांवों और दूरदराज के युवा खिलाड़ियों पर पड़ता है। जब तक खेल के मैदान में वे एक-दूसरे से भिड़ेंगे नहीं, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? इसी तरह, अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में छह फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, उचित सुरक्षा व सम्मान भी प्राप्त हो सकेगा। और अंत में, इस बार राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमें अपने महानायक मेजर ध्यानचंद को वह सम्मान देना चाहिए, जिसके वह हकदार हैं। उन्हें अब देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मन पर नियंत्रण

पिछले कुछ समय में मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने के लिए काफी काम हुआ है। अगर आप दिमाग में हलचल मचाते न्यूरॉन पर गौर करें, तो पाएंगे कि इनकी गतिविधि में जबर्दस्त तालमेल होता है। शरीर का ठीक से काम करना इस तालमेल का ही नतीजा है। न्यूरॉन की गतिविधियों में असाधारण समायोजन की वजह से ही शरीर में करोड़ों चीजें हो रही हैं।

मगर दुर्भाग्य से, ज्यादातर लोगों के अनुभव में उनका मन एक जंजाल, एक सर्कस बन गया है। हालांकि, सर्कस असल में बेहतरीन तालमेल का नमूना है, जिसे जान-बूझकर बेतरतीब जैसा दिखाया जाता है। यहां तक कि सर्कस का जोकर भी एक जिमनास्ट होता है, उसमें जबर्दस्त काबिलियत होती है। फिर भी उसे जोकर जैसा बनाकर रखा जाता है। अहम मुद्दा यह है कि हम इस सर्कस को कैसे चलाते हैं? यह दिमाग, जो हमारे जीवन में सबसे चमत्कारिक संभावना है, एक पीड़ा पैदा करने वाली मशीन क्यों बन गया है?

आइए, इसको इस तरह से देखते हैं। आप अच्छा कब महसूस करते हैं? जब आप खुश और आनंदित होते हैं। आपका शरीर सुखद महसूस कर रहा होता है, तो हम इसे स्वास्थ्य कहते हैं। अगर बहुत सुखद हो जाता है, तो हम उसे सुख मिलना कहते हैं। अगर आपका मन सुखद महसूस कर रहा है, तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर वह ज्यादा सुखद हो जाता है, तो हम इसे आनंद कहते हैं।

अगर आपकी भावनाएं सुखद महसूस करती हैं, तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर वह बहुत ज्यादा सुखद हैं, तो हम उसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन-ऊर्जाएं सुखद हो जाती हैं, तो हम इसको कृपा कहते हैं और अगर वे बहुत अधिक सुखद होती हैं, तो हम उसे परमानंद कहते हैं। हर इंसान बस यही परमानंद तो चाह रहा है।

अगर मैं आपसे उस समय मिलूं, जब आप बहुत खुश हों, तब आप एक शानदार और उदार इंसान लगते हैं। लेकिन अगर आपसे मेरी मुलाकात उस वक्त हो, जब आप बहुत दुखी या परेशान हों, तो आप बहुत खराब इंसान लगते हैं। वास्तव में, हरेक इंसान अपने भीतर और बाहर खुशी तलाश रहा है। बाहरी खुशी लाखों चीजों पर निर्भर करती है। हम बाहरी स्थितियों को संभाल तो सकते हैं, पर उनको कुछ हद तक ही मन-मुताबिक बना सकते हैं। लेकिन जब आंतरिक स्थिति की बात आती है, तब उसमें सिर्फ एक चीज शामिल है, और वह हैं आप। कम से कम यहां तो आपको वैसा होना चाहिए, जैसा आप चाहते हैं। अगर वैसे ही हो पाते, तो यह पक्का है कि आप खुद को दुख नहीं देते।

हरेक इंसान खुशी तलाश रहा है। बाहरी खुशी लाखों चीजों पर निर्भर करती है। हम बाहरी स्थितियों को संभाल तो सकते हैं, पर उनको कुछ हद तक ही मन-मुताबिक बना सकते हैं।

ऐसा क्यों है कि मैं जैसा चाहता हूं, वैसा नहीं हो पाता? ऐसा सिर्फ इसलिए है, क्योंकि आपके भीतर बुनियादी चीजें आपसे निर्देश नहीं ले रहीं।

सदगुरु जग्गी वासुदेव

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री

भारत के सामने चुनौतियां विकट हैं, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे भी बड़ा है। दुनिया हमें ताकत के साथ सत्य, शांति और न्याय के लिए जानती है। अपनी रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

अनुलोम-विलोम
दहेज हत्या

दहेज लोभियों की भेंट चढ़ रही बेटियां

ग्रेटर नोएडा की निक्की की दर्दनाक मौत से हमारे समाज और व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े होते हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को जब आर्थिक लेन-देन और लालच से जोड़ा जाता है, तो उसका परिणाम अक्सर हिंसा और मौत के रूप में सामने आता है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि साल भर में 6,450 महिलाएं दहेज हत्या की शिकार हुईं, यानी भारत में हर दिन औसतन 54 महिलाएं दहेज लोभियों के हाथों अपनी जान गंवा रही हैं। यह आंकड़ा बताता है कि दहेज की समस्या सिर्फ कानून बनाने से खत्म नहीं होने वाली। इसके लिए सामाजिक और प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर गहरी पहल की जरूरत है।

ऐसा नहीं है कि दहेज हत्या को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया, जिसके बाद आईपीसी की धारा 304बी और 498ए, और 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम लागू किए गए। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना था। हालांकि, जमीन पर स्थिति निराशाजनक ही है। धीमी जांच, वर्षों तक खिंचने वाली सुनवाई, गवाहों का मुकर जाना और सामाजिक दबाव के चलते दोषियों को सजा नहीं मिल पाती। नतीजतन, पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहता है। हालांकि, दहेज विरोधी कानूनों का दुरुपयोग भी एक बड़ा मसला है। कई बार झूठे मामले दर्ज करके ससुराल वालों को प्रताड़ित किया जाता है और बदला लेने की मानसिकता से काम किया जाता है। इस कारण पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों पर संवेदनशील होकर काम करने के बजाय संदेह करने लगे हैं।

इस स्थिति में सुधार बेहद जरूरी है। सबसे पहले, जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाना चाहिए। दूसरा, पुलिस और प्रशासन को इस कदर प्रशिक्षण दिया जाए कि वे संवेदनशीलता दिखाएं और हर शिकायत को गंभीरता से लें, चाहे मामला असली हो या झूठा। तीसरा, झूठे मामलों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई की व्यवस्था हो, ताकि कानून का गलत इस्तेमाल रुक सके और इसकी विश्वसनीयता बनी रहे। चौथा, समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाएं कि बेटियां बोझ नहीं हैं और शादी किसी आर्थिक सौदेबाजी का नाम नहीं। यदि हमें अपनी बेटियों को सचमुच सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है, तो कानून को केवल किताबों में नहीं, बल्कि जमीन पर लागू करना होगा। इसके साथ ही जरूरी यह भी है कि समाज की सोच व्यापक बने। ऐसा होने पर ही निक्की जैसी मासूम जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

ऐसी हत्याओं के मामले लगातार घट रहे

देश में दहेज-हत्या के मामले लगातार कम हो रहे हैं। यकीन न हो, तो एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, जिसमें कहा गया है कि साल 2020 में दहेज-हत्या के 6,966 मामले सामने आए थे, जबकि 2021 में 6,753। इसी तरह, साल 2022 में 6,450 मामले सामने आए थे। ये नवीनतम आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से दहेज-हत्या के मामले घट रहे हैं। अगर यह गिरावट यूं ही जारी रही, तो यकीनन जल्द ही देश में दहेज-हत्या के मामले बहुत कम हो जाएंगे।

यह इसलिए संभव हो सका है, क्योंकि दहेज के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ी है और पहले की तुलना में इसका चलन कम हुआ है। मैं यह नहीं कह रही कि दहेज का लेन-देन अब नहीं हो रहा, लेकिन सच यह भी है कि आज कई तबकों में दहेज लेने वालों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। बेशक, कोई उनके मुंह पर कुछ न कहे, लेकिन पीठ पीछे सभी उनकी बुराई ही करते हैं। निक्की मामले में ही उसके ससुराल पक्ष को सब घेर रहे हैं, क्योंकि सभी यह मानते हैं कि उसने गलत किया है। अब तो कई परिवार यह भी कहने लगे हैं कि बेटियों में दहेज देना भले उनकी मजबूरी हो, पर बेटों में दहेज लेना नहीं, इसलिए वे बेटों का विवाह किसी भी तरह के लेन-देन के बिना करने लगे हैं। जब इस तरह की सोच पूरे समाज में व्याप्त हो जाएगी, तो निश्चय ही दहेज का दानव भी खत्म हो जाएगा।

दहेज के खिलाफ इसलिए भी लोगों में बेरुखी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता। माता-पिता अपनी हर संतान को समान भाव से पढ़ाते-लिखाते हैं। यही कारण है कि बेटियां अब किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं होतीं। वे न सिर्फ बेटों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर पढ़ाई-लिखाई करती हैं, बल्कि नौकरी के मामले में भी पीछे नहीं दिखतीं। वे सभी तरह के काम करने लगी हैं। इस कारण बेटियां भी बेटों के समान अच्छी-खासी कमाई करती हैं। तो, जब बेटियां अपने पांव पर खड़ी हैं, तो भला वे क्यों दहेज देने को तैयार होंगी? अगर कोई वर पक्ष इसकी मांग करता भी है, तो उसे टका सा जवाब सुना दिया जाता है कि मेरी बेटी तो अब अपने पांव पर खड़ी है, उसे क्या दिक्कत है, आप न सही, तो कोई दूसरा लड़का उसका हाथ थाम ही लेगा। इसका एक मतलब यह भी है कि अगर हम दहेज जैसी कुरीति को समाज से खत्म करना चाहते हैं, तो बेटियों को अपने पांव पर खड़े होना सिखाना होगा। उनको सशक्त बनाना होगा। पढ़ी-लिखी और काबिल बेटियों के लिए कोई मां-बाप क्यों दहेज देने को मजबूर होगा?

समिधा, टिप्पणीकार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 165

वृद्धि को गति

बुधवार को जारी किया गया उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 यह संकेत देता है कि देश का विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि कर रहा है लेकिन ढांचागत चिंताएं बरकरार हैं। वित्त वर्ष 24 में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में मौजूदा मूल्य पर 11.9 फीसदी का इजाफा हुआ लेकिन समग्र उत्पादन 5.8 फीसदी की दर से बढ़ा जो वित्त वर्ष 23 की तुलना में काफी कम है। उस वर्ष महामारी के बाद इसमें 21 फीसदी की दर से वृद्धि हुई थी। रोजगार में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई और वित्त वर्ष 24 में प्रति व्यक्ति शुद्ध मूल्य वर्धन में पिछले वर्ष की तुलना में कोई सुधार नहीं हुआ। यह उत्पादकता में ठहराव को दर्शाता है। भारत जैसे श्रम-प्रधान देश के लिए, जहां विनिर्माण क्षेत्र को आय का समर्थन करना चाहिए, ये आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं।

असली चुनौती अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की भूमिका में निहित है। वर्षों के नीतिगत ध्यान के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी केवल 17 फीसदी है और रोजगार में केवल 12 फीसदी। यह भारत के लिए वांछित स्तर से बहुत कम है। लाखों अर्द्ध कुशल या कम कुशलता वाले श्रमिक हर वर्ष श्रम शक्ति में शामिल हो रहे हैं। बिना फैक्टरियों में और रोजगार तैयार किए लोगों के पास कम वेतन वाले असंगठित क्षेत्र के काम करने के सिवा कोई विकल्प न रहेगा। औद्योगिक गतिविधियों का प्रसार भी कुछ जगहों पर केंद्रित है। शीर्ष पांच राज्य ही विनिर्माण जीवीए में 54 फीसदी और रोजगार में 55 फीसदी के हिस्सेदार हैं। इसके अलावा उत्पादन में पांच उद्योगों का दबदबा है जो हैं-बुनियादी धातुएं, मोटर वाहन, रसायन, खाद्य उत्पाद और औषधि। ऐसा संघनन समावेशिता को सीमित करता है और विनिर्माण की व्यापक वृद्धि का वाहक बनने की संभावनाओं को भी प्रभावित करता है।

नीतिगत नजरिये से देखें तो भारतीय विनिर्माण बहुत विभाजित है। इसमें छोटी कंपनियों का दबदबा है जिनकी तकनीक और वित्त तक सीमित पहुंच है। इससे उत्पादकता कम और लागत अधिक बनी हुई है। यह बात स्वीकारी जा चुकी है कि संस्थागत सख्ती निवेश को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए भारत के श्रम कानून उद्यमियों को उनके काम के लिहाज से बहुत कम प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। अनुपालन के बोझ की आशंका और विवादों का भय उद्यमियों को बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करने से रोकता है। खासतौर पर श्रम गहन क्षेत्रों में मसलन कपड़ा एवं वस्त्र, फुटवियर और खाद्य प्रसंस्करण आदि जहां भारत को तुलनात्मक बढ़त होनी चाहिए।

ऐसे में यह अहम है कि नीतिगत हस्तक्षेप केवल कर राहत और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं तक ही सीमित नहीं रहे। उन्नत तकनीक के साथ कुशल श्रमिकों की तादाद बढ़ाना और भौगोलिक विविधता को प्रोत्साहित करना भी अहम है। निवेश को रोजगार से जोड़ने वाली संतुलित नीति भी विनिर्माण आधारित वृद्धि के लिए अहम है। ऐसे में भारत को श्रम गहन क्षेत्रों में कारोबार का आकार बढ़ाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सख्ती को शिथिल करना ताकि लोगों को काम पर रखना और औद्योगिक क्लस्टर्स का निर्माण करना आसान हो। उदाहरण के लिए नई श्रम संहिताओं को पारित कर दिया गया लेकिन क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसके अलावा कौशल को बदलती तकनीक से जोड़ना आवश्यक है। क्योंकि इस क्षेत्र में डिजिटल उपाय, स्वचालन और पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण कार्यस्थलों को बदल रहे हैं।

अंततः निवेश सहायता को रोजगार सृजन से जोड़ना आवश्यक है। यह स्वीकार करना होगा कि अमेरिका के साथ व्यापारिक तनावों ने विनिर्माण क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ा दी है, और निकट भविष्य में विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

हालांकि, नीति को मध्यम से दीर्घकालिक संभावनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। भारत को भूमि, श्रम और पूंजी के क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है ताकि विनिर्माण उत्पादन को बढ़ाया जा सके और बढ़ती कार्यबल के लिए रोजगार उत्पन्न करने की परिस्थितियां तैयार की जा सकें। इस चरण पर सुधारों को लागू करने में देरी आने वाले वर्षों में विकास को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है। इसलिए, सुधारों की दिशा में ठोस और समयबद्ध कदम उठाना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है।

विनय सिन्हा

निःशुल्क अनाज वितरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सुधार करने का तरीका केवल अपात्र लाभार्थियों को बाहर करना भी नहीं है। इस दिशा में और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अपने रहवासियों द्वारा निःशुल्क वितरित खाद्यान्न के इस्तेमाल को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। ये आंकड़े कुछ समय पहले के एक सर्वेक्षण से लिए गए हैं और ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत दिल्ली के कुल लाभार्थियों में से करीब 9 फीसदी अपात्र हैं। 6.5 लाख अपात्र लाभार्थियों में से करीब 96,000 कार मालिक हैं, 89,000 से अधिक को अन्य राज्यों से भी ऐसी ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है और करीब 2.8 लाख के पास या तो जमीन है, आयकर चुकाते हैं या फिर ये पंजीकृत कंपनियों के निदेशकों के रूप में काम करते हैं।

पीएमजीकेएवाई के तहत अपात्र लाभार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा कम है। देश में 19.2 करोड़ राशनकार्ड जारी हैं। यानी कुल लाभार्थियों की संख्या 76 करोड़ है। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में प्रकाशित किया, इनमें से करीब 6 फीसदी राशन कार्डधारक अपात्र पाए गए। यह देश की राजधानी की तुलना में बेहतर है लेकिन यह भी किसी उत्सव का विषय तो नहीं ही है। करीब 94.7 लाख राशनकार्ड धारक आयकर चुकाते हैं, इनके अलावा करीब 17.5 लाख के पास अपने चारपहिया वाहन हैं और 5.3 लाख लोग कंपनियों के बोर्ड में निदेशक हैं।

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत पात्रता के नियमों में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों, सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले, चारपहिया वाहनों के मालिकों और आयकरदाताओं के परिवारों को योजना का लाभ नहीं दिया जाए। अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई के तहत प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो अनाज या प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति माह प्रति सदस्य पांच किलो अनाज निःशुल्क अनाज देने का सिलसिला कोविड के दौर में शुरू किया गया लेकिन 2023 के अंत तक नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की। इन पांच सालों के दौरान इसके चलते कुल 11.8 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने की बात कही गई यानी सालाना करीब 2.36 लाख करोड़ रुपये। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अब विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वह उनसे अनुरोध कर रहा है कि वे अपात्र दावेदारों को चिह्नित करें और उनको अगले महीने के अंत तक बाहर निकालें। परंतु इसके राजनीतिक असर को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम है कि सितंबर 2025 तक यह काम पूरा किया जा सकेगा।

भारत के आर्थिक सुधारों के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि बहुत कम सरकारों ने अपनी राजनीतिक पूंजी का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया है कि किसी कल्याणकारी योजना के नियमों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि उसका लाभ केवल लक्षित समूह को ही मिले। वैसे भी, जनवरी 2024 से शुरू होकर पांच वर्षों तक लगभग 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना मूल रूप से एक गलत विचार था। एक ऐसे देश में जहां खुद सरकार के बहुआयामी गरीबी के अनुमान के अनुसार गरीबों की संख्या केवल 21 करोड़ है। अब जबकि यह योजना पहले ही लागू हो चुकी है, लाभार्थियों की सूची को सीमित करने का कोई भी प्रयास अत्यंत कठिन कार्य होगा।

ध्यान रहे कि अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने का काम राज्यों को सौंपा गया। राज्य यह शिकायत कर सकते हैं कि योजना की घोषणा और उसे पांच साल के लिए बढ़ाते समय केंद्र सरकार आगे थी। उसने इसका श्रेय लिया लेकिन अब राज्यों को लोगों की नाराजगी झेलनी होगी क्योंकि उनमें से अनेक अक्टूबर 2025 से योजना के तहत लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। अगर राज्य निःशुल्क खाद्यान्न योजना जारी रखते हैं तो उन्हें इसकी लागत वहन करनी होगी। यह भी एक वजह हो सकती है जिसके चलते शायद राज्य अपात्र लोगों को बाहर करने में उतनी रुचि न लें। एक दिक्कत और हो सकती है। अप्रैल 2025 से बड़ी तादाद में आयकर दाता कर दायरे से बाहर हो गए हैं क्योंकि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को अब कर चुकाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा संभावना है कि 94 लाख राशनकार्ड धारकों में से अधिकांश जिन्होंने गत वर्ष आय कर चुकाया हो, वे इस वर्ष कर दायरे से बाहर हो जाएंगे और एक बार फिर खाद्यान्न योजना के पात्र हो जाएंगे।

खाद्य सब्सिडी में कटौती की प्रक्रिया के धीमे क्रियान्वयन का एक और कारण यह है कि इससे खर्च में जो कमी आएगी, वह अपेक्षाकृत बहुत कम होगी। सालाना लगभग 14,000 करोड़ रुपये की बचत, कुल खाद्य सब्सिडी बिल जो कि लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपये है, में कोई बड़ा अंतर नहीं लाएगी। इस स्थिति में, जहां एक ओर मुफ्त खाद्यान्न से वंचित होने वाले लोगों की ओर से राजनीतिक विरोध का खतरा है और दूसरी ओर सरकार को मिलने वाला वित्तीय लाभ बहुत सीमित है, वहां लाभार्थियों की सूची को छोटा करने की दिशा में कोई कार्रवाई न करना एक स्वाभाविक विकल्प बन जाता है। सरकार को क्या करना चाहिए? अपात्र लाभार्थियों को हटाकर मामूली लाभ हासिल करने के बजाय उसे यह चिह्नित करना चाहिए कि देश कोविड के संकट से उबरा और 80 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया कराया गया। किसी भी स्थिति में, देश में बहुआयामी गरीबी को घटाकर लगभग 21 करोड़ भारतीयों तक सीमित कर देना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इस उपलब्धि का उपयोग इस बात के लिए किया जाना चाहिए कि मुफ्त खाद्यान्न योजना को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखा जाए जो वास्तव में इस श्रेणी में आते हैं।

ध्यान रहे, पीएमजीकेएवाई को बंद नहीं करेंगी। केवल इसके दायरे को मौजूदा के 25 फीसदी लाभार्थियों तक सीमित किया जाएगा। मौजूदा 75.9 करोड़ लाभार्थियों में से 8.1 करोड़ एएवाई श्रेणी से आते हैं यानी वे सर्वाधिक गरीबों में से हैं। ऐसे में इस योजना को केवल इन लाभार्थियों तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार पीएमजीकेएवाई को समय से पहले बंद करने के राजनीतिक विरोध से डर रही है तो उसे हर पात्र परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा काफी कम कर देनी चाहिए। पहले से ही, पात्रता राशि के संदर्भ में सरकार अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता श्रेणी के तहत आने वाले लाभार्थियों के बीच अंतर करती है। एक पुनर्गठित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभों को और कम किया जा सकता है या फिर खाद्यान्न आवंटन की जगह उस अनाज की खरीद लागत के बराबर नकद हस्तांतरण किया जा सकता है। ऐसे में यह योजना दिसंबर 2028 तक जारी रखी जा सकती है।

सरकार ने आने वाले दिनों में जिन सुधारों का वादा किया है, पीएमजीकेएवाई में सुधार भी उसी कड़ी में होगा। इससे निःशुल्क खाद्यान्न योजना अधिक उपयुक्त बन सकेगी और गरीबी में कमी इसमें बेहतर परिलक्षित होगी। इससे सरकार को भी अपने संसाधन बचाने में मदद मिलेगी। इससे खाद्यान्न सब्सिडी में व्यय होने वाली राशि को उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगी।

पीएम जन धन : पहले दशक की उपलब्धियां

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद मीडिया के साथ बातचीत में नागरिकों के हित और कल्याण की बात की, जिसमें 'पिरामिड के निचले स्तर' पर रहने वाले लोग भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, 'आरबीआई के लिए, भारत के नागरिकों के हित और कल्याण सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। भारत के लोग ही हमारे अस्तित्व का कारण हैं, जिनमें सबसे गरीब लोग भी शामिल हैं।' इसके बाद, उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि वे जन धन खातों के लिए 'नो योर कस्टमर' के दोबारा नवीनीकरण (री-केवाईसी) और सूक्ष्म बीमा तथा पेंशन योजनाओं के लिए कैंप लगाएं। री-केवाईसी के तहत ग्राहकों की जानकारी फिर से अद्यतन की जाती है। बैंकों ने जुलाई से ऐसे कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं और सितंबर के अंत तक इन्हें जारी रखेंगे ताकि ग्राहकों को उनके घर के पास ही सेवाएं मिल सकें। री-केवाईसी और नए बैंक खाते खोलने के अलावा इन कैंपों का ध्यान वित्तीय समावेशन के लिए सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाओं पर है और साथ ही इनका मकसद ग्राहकों की शिकायतें दूर करना भी है।

जन धन खातों को कम जोखिम वाला माना जाता है, इसलिए बैंकों को ऐसे खातों के लिए हर 10 साल में एक बार री-केवाईसी करना होता है। इनमें से कई खाते 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू होने के शुरुआती सालों में खोले गए थे। इस योजना की शुरुआत के पहले सप्ताह में 1.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। हालांकि बाद में कई खाते निष्क्रिय हो गए हैं, जिन्हें फिर से सक्रिय करने की जरूरत है ताकि खाताधारक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

कोई भी खाता तब निष्क्रिय हो जाता है जब उसमें लंबे समय तक (अक्सर एक साल से ज्यादा) कोई लेन-देन नहीं होता है। इसे फिर से चालू करने के लिए, उसमें पैसा जमा करना या पैसा निकाला जाना चाहिए। बैंक खातों को निष्क्रिय इसलिए करते हैं ताकि अगर खाताधारक उसे भूल गया हो, तो उसमें कोई अनधिकृत गतिविधि न हो। आजादी के बाद से भारत ने औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बहुत प्रगति की है। देश के कुल जमा का 85 फीसदी रखने वाले 14 बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1980 में दूसरे दौर में छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद, 91 फीसदी बैंकिंग उद्योग, सरकार के स्वामित्व में आ गए।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

राष्ट्रीयकरण से पहले, निजी स्वामित्व वाले बैंक बचत वाली जमा रकम जुटाते थे और अधिकांशतः बड़े व्यापारिक घरानों के लिए ही पैसे का लेन-देन करते थे। देश की आबादी के एक बड़े वर्ग के पास, न तो उधार लेने के लिए और न ही बचत करने के लिए बैंकिंग की सुविधा थी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की शुरुआत हुई, लेकिन 'हर 10,000 लोगों के लिए एक बैंक शाखा' का सपना 1980 के दशक तक अधूरा रहा। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने इस दिशा में एक बड़ा बदलाव किया। यह सरकार की एक ऐसी वित्तीय समावेश योजना है जिसका उद्देश्य देश के सभी वर्गों तक बैंक खातों, पैसे भेजने, ऋण लेने, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए और पहले सप्ताह में कुल 1.8 करोड़ खाते खोले गए। इस तरह इस योजना के तहत 'एक सप्ताह में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोलने' का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। एक दशक बाद, अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में कुल प्रधानमंत्री जन-धन योजना खातों की संख्या 56.1 करोड़ हो गई। इन खातों में कुल 2.64 लाख करोड़ रुपये जमा हैं जिसमें प्रति खाते का औसत बैलेंस 4,726 रुपये है। ऐसे लाभार्थियों को 38.59 करोड़ रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन-धन खातों से रुपे कार्ड को जोड़ने से डिजिटल लेनदेन कई गुना बढ़ गए थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस अभियान में शानदार भूमिका निभाई है। उन्होंने 43.51 करोड़ खाते खोले हैं जो कुल जन-धन खातों का 77.55 फीसदी है। इसके बाद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (10.56 करोड़ यानी18.80 फीसदी), निजी बैंकों (1.84 करोड़ यानी 3.30 फीसदी), और ग्रामीण सहकारी बैंकों (लगभग 10 लाख यानी0.35 फीसदी) का स्थान आता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के लाभार्थियों की संख्या रूस (जिसका कुछ हिस्सा एशिया में है), तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और पोलैंड सहित यूरोप के एक बड़े हिस्से की संयुक्त आबादी से ज्यादा है। केवल बैंक खातों की संख्या पूरी कहानी नहीं बताती। कुल पीएमजेडीवाई खातों में से 66.75 फीसदी यानी 37.44 करोड़ खाते देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 33.25 फीसदी (18.66 करोड़ खाते) शहरी क्षेत्रों में हैं। खास बात यह है कि महिला लाभार्थियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगस्त के पहले सप्ताह में 31.27 करोड़ (55.70 फीसदी) महिला लाभार्थी थीं। पीएमजेडीवाई वास्तव में बहुचर्चित जन-धन-आधार-मोबाइल (जैम की तिकड़ी) का मुख्य चालक है, जिसने भारत की बैंकिंग व्यवस्था बदल दी है। जन-धन खाते वॉलेट की तरह हैं और आधार हर व्यक्ति की असली पहचान सुनिश्चित करता है और मोबाइल फोन पैसों के लेन-देन का साधन है। मोबाइल के अलावा, क्यूआर कोड और प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनों ने जन-धन खातों में आसान लेन-देन को बढ़ावा दिया है।

इन तीनों ने मिलकर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को संभव बनाया है, जो सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाता है और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता और न ही पैसे का दुरुपयोग होता है। वर्ष 2013-14 में डीबीटी के तहत 28 योजनाएं थीं, जो 2024-25 में बढ़कर 323 हो गईं। इसी दौरान, हस्तांतरित की गई राशि भी लगभग 10 गुना बढ़ी और यह 7,400 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपये हो गई।

डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी का एक और कारण रुपे कार्ड है। जन-धन योजना के तहत 38.68 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए, लाखों पीओएस मशीनें लगाई गईं और मोबाइल-आधारित भुगतान प्रणाली ने मिलकर वित्तीय समावेश अभियान को बढ़ावा दिया है। अब औसतन, एक बैंक शाखा 7,100 लोगों को सेवाएं देती है। हालांकि जन धन योजना की कुछ चुनौतियां भी हैं। जनवरी 2025 तक, 21.17 फीसदी जन धन खाते निष्क्रिय थे। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ग्रामीण से शहरी इलाकों में लोगों का पलायन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें एक व्यक्ति के कई खाते हैं जो 'म्यूल खाते' के तौर पर अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होते हैं।

बैंक केवल खाते ही खोल सकते हैं लेकिन वे आय का सृजन नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की आय नहीं बढ़ती है, खाते का इस्तेमाल नहीं होता है और न पूंजी आती है तब बैंक खाते निष्क्रिय हो जाएंगे। इसका समाधान रोजगार के मौके तैयार करने से जुड़ा है। लेकिन यह अलग मुद्दा है।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार की दरकार

शिक्षकों की शिक्षा में सुधार के लिए कई पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास और उन्हें समर्थन प्रदान करना शामिल है। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करके हम शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं। शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए, उन्हें आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के वास्ते शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना होगा। इसमें पाठ्यक्रम को अद्यतन करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना भी महत्त्वपूर्ण है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावी हैं और शिक्षकों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए कार्यक्रमों की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए और आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। शिक्षकों को लगातार सीखने और विकसित होने के लिए उन्हें सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों में नवीनतम शिक्षण विधियों, तकनीकों और विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक समर्थन प्रदान करना भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें उन्हें उचित मार्गदर्शन, संसाधन और प्रेरणा प्रदान करना शामिल है। शिक्षकों को छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षकों को छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करके शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है

उपभोक्ताओं के जागरूक होने की जरूरत

सरकार उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचने के लिए कानून बनाने तथा इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास करती है। लेकिन सरकार का यह प्रयास लोगों के इसके प्रति गंभीर नहीं होने के कारण निरर्थक हो जाता है। उपभोक्ताओं को बिल के बिना कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। बिल के बिना उपभोक्ता सामान के खराब निकलने पर इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। देश में आजकल ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ गया है। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि ऑनलाइन खरीदारी में खरीदे गए सामान की जगह दूसरी चीज भेज दी गई है। कुछ ऑनलाइन कंपनियां सोशल मीडिया साइट पर अपना प्रचार कर उपभोक्ताओं को रिझाती हैं और उन्हें घटिया सामान भेज देती हैं। सरकार को ऑनलाइन खरीदारी से उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए भी कड़े कानून बना कर उसका कड़ाई से पालन कराना चाहिए। बाजार में मिलावटी चीजों, खराब गुणवत्ता और घटिया चीजों से बचने के लिए भी सरकार जागरूकता अभियान चलाती है तथा हेल्पलाइन नंबर जारी करती है। जब तक लोग सामान के खराब होने की शिकायत नहीं करेंगे तो सरकार घटिया सामान बेचने वालों पर कार्रवाई कैसे करेगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने गुरुवार को एचसीएल राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप में आकांक्षा सालुंखे पर जीत के साथ लगातार तीसरा खिताब जीत लिया। दुनिया में भारत की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ी 17 वर्षीय अनाहत ने जीत के साथ खिताब की हैट्रिक पूरी की।

नौसेना की भूमिका

भू-राजनीति में महत्वपूर्ण

आज दुनिया एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रही है, अब शांति का समय नहीं रहा और खतरा मंडरा रहा है, खासकर जब आप अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हों। हूथी समुद्री डाकुओं का सामना करने से लेकर दुश्मन देशों की गोलीबारी से बचने तक, समुद्री नौवहन अब एक सुरक्षित पेशा नहीं रहा। भारत के समुद्री हितों पर हमलों की रक्षा और उन्हें विफल करने के लिए, भारतीय नौसेना की एक बड़ी भूमिका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान में दो स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि ,का जलावतरण करते हुए इसी बात पर जोर दिया। वास्तव में, आज की राजनीति में नौसेना की भूमिका अब भारत के विशाल समुद्र तट की रक्षा तक ही सीमित नहीं है। बदलती भू-राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसने समुद्री मार्गों को असुरक्षित बना दिया है और आपूर्ति लाइन को बाधित कर दिया है। इसमें उन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी शामिल है जो भारत के तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को बनाए रखते हैं।

रक्षा मंत्री ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और घोषणा की कि भविष्य के नौसैनिक जहाज आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत पूरी तरह से स्वदेश में ही बनाए जाएंगे। इन दोनों युद्धपोतों के शामिल होने से नौसेना की परिचालन पहुंच, लचीलापन और निवारक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत की नौसैनिक स्थिति क्षेत्रीय भू-राजनीति, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में, जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह का केंद्र बन गया है, के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होती

जा रही है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव, आईओआर में चीन की बढ़ती उपस्थिति और लगातार समुद्री डकैती के खतरों के बीच, भारतीय नौसेना तटवर्ती देशों के लिए एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति बना रही है। पारंपरिक समुद्री रक्षा के अलावा, नौसेना अब ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, समुद्री डकैती को रोकने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। इसका परिचालन क्षेत्र अदन की खाड़ी से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है, जो एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की आकांक्षाओं को रेखांकित करता है। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 130 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बियां हैं, और परमाणु और पारंपरिक पनडुब्बियों तथा वाहक-आधारित क्षमताओं को शामिल करने के लिए आधुनिकीकरण अभियान चल रहा है।

स्वदेशी निर्माण ने गति पकड़ ली है, और इसके निर्माणाधीन बेड़े का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भारतीय शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि का जलावतरण, समुद्री क्षमता में एक बड़ी छलांग है। विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के बढ़ते बेड़े की निरंतर तैनाती के साथ, नौसेना हिंद महासागर में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रही है। ऐसे समय में जब वैश्विक समुद्री व्यवस्था उथल-पुथल का सामना कर रही है, भारत का न केवल रक्षा के लिए, बल्कि रणनीतिक प्रभाव और आर्थिक सुरक्षा के लिए भी नौसैनिक शक्ति का लाभ उठाने का दृढ़ संकल्प एक विवेकपूर्ण कदम है।

उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा बनाम विपक्ष

जो भाजपा की एक सामान्य बढ़त मानी जा रही थी, वह आरएसएस में गहरी जड़ें रखने वाले एक अनुभवी राजनेता और सामाजिक न्याय के लिए जाने जाने वाले विधिवेत्ता के बीच एक दिलचस्प मुकाबले में बदल गई है। दोनों दक्षिण भारत से हैं, जहां क्षेत्रीय गतिशीलता परिणाम को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है।

अनिल आनंद
लेखक, राजनीतिक विश्लेषक हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी रणभूमि उम्मीद से पहले ही तैयार हो गई है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा अपने उम्मीदवार के नाम पर जल्दबाजी में फैसला लेने को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं था, खासकर यह फैसला भाजपा का ही होना था। आश्चर्य की बात यह थी कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन ने बिना किसी शोर-शराबे के, जिस तत्परता से अपना संयुक्त उम्मीदवार तय किया, वह निश्चित रूप से भाजपा के लिए भी एक आश्चर्य की बात थी।

इस चुनावी रणभूमि में महाराष्ट्र के राज्यपाल और राजभवन में प्रवेश करने से पहले तमिलनाडु से भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे श्री सी.पी. राधाकृष्णन और तेलंगाना (तेलुगु) से आने वाले पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। यह मुकाबला एक कट्टर राजनेता, जिसकी आरएसएस से गहरी पृष्ठभूमि है, और एक ऐसे कानूनी दिग्गज के बीच है जिसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के प्रति गहरा झुकाव है, जैसा कि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उनके कानूनी करियर के दौरान उनके अवलोकनों और फैसलों से साफ जाहिर होता है।

दोनों उम्मीदवारों का दक्षिण भारत से होना और तेलंगाना-आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में अलग-अलग राजनीतिक दलों का शासन होना, और निश्चित रूप से स्थानीय निवास का कारक, जो मतदान पैटर्न तय करने में अहम भूमिका निभाता है, इस बात का वादा करता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। संख्यात्मक रूप से भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इन राज्यों की राजनीतिक स्थिति और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक-सदस्यों के किसी व्हिप से बंधे न होने के तथ्य के कारण यह मुकाबला दिलचस्प लगता है।

इसमें कोई संदेह नहीं था कि पूरी तरह से सरकारी मशीनरी से लैस, सत्तारूढ़ भाजपा इस दौड़ में बढ़त बनाएगी। एनडीए खेमे की इस उम्मीद के विपरीत कि प्रतिद्वंद्वी नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन तक उम्मीदवार के चयन पर बहस करेंगे, स्थिति उलट गई। सत्तारूढ़ दल की बढ़त का फायदा कुछ कम हुआ जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुपचाप और जल्दी से अपना उम्मीदवार तय कर लिया, वह भी एक गैर-राजनीतिक, गैर-विवादास्पद और बेदाग ट्रैक-रिकॉर्ड वाले सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सोच में किसी भी स्थिति में एक ही बात समान है कि प्रतिद्वंद्वी खेमों से वोट और समर्थन हासिल करने के लिए जोड़-तोड़ के अलावा चुनावी लाभ कैसे हासिल किया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो उनके लिए साध्य साधन से ज्यादा मायने रखता है। और पूर्व सांसद और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष श्री राधाकृष्णन के चयन के मामले में भी यही बात लागू होती है, क्योंकि उनके गृह राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

उनके चयन के पीछे दोतरफा रणनीति प्रतीत होती है: (1) विधानसभा चुनावों को प्रभावित करना, (2) और उससे भी महत्वपूर्ण बात, सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके नेता श्री एम.के. स्टालिन को एक ऐसे कोने में धकेलना जहां उन्हें एक तमिल समर्थक के खिलाफ वोट देने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े। अगर इसे सावधानी से नहीं संभाला गया, तो मुख्यमंत्री स्टालिन के लिए इसके गंभीर चुनावी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि श्री मोदी और उनकी टीम ध्रुवीकरण और चुनावी तौर पर ऐसी स्थिति का फायदा उठाने में माहिर हैं।

किसी ने भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा, और वह भी 24 घंटे के भीतर, एक चतुर जवाबी कदम की उम्मीद नहीं की थी (कांग्रेस के विपरीत, जो अनिर्णय और गुटबाजी से ग्रस्त है)। यह तथ्य कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, लंबे समय तक असमंजस में रहने के बाद, बिहार में विधानसभा चुनाव से बमुश्किल तीन महीने पहले मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) के मुद्दे पर एकजुट हुए, और कर्नाटक व महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फर्जी मतदाताओं और फर्जी मतदान की जानकारी इकट्ठा करने में श्री राहुल गांधी के अथक प्रयासों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गुट को मजबूत स्थिति में लाकर काम करने के लिए प्रेरित किया है।

इन परिस्थितियों में, उपराष्ट्रपति चुनाव एक मजबूत कहानी गढ़ने के मामले में एक-दूसरे से आगे निकलने का भी एक जरिया है। न्यायमूर्ति रेड्डी को मैदान में उतारकर और चुनाव को रवैचारिक मुकाबलार बताकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मोदी ब्रिगेड पर बढ़त बना ली है। बेशक, जीतना ही हर चुनाव का अंतिम लक्ष्य होता है।

दरअसल, जस्टिस रेड्डी का चयन एनडीए उम्मीदवार के लिए एक जबरदस्त और बेचैन करने वाला झटका साबित हुआ है। अगर श्री राधाकृष्णन को स्टालिन के गृह राज्य में अपने तमिल समर्थक उम्मीदवार के लिए वोट देने के लिए मजबूर करने के लिए लाया गया था, तो जस्टिस रेड्डी का चुनाव, जो एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं, उसी तरह तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश (तेलुगु क्षेत्र के हिस्से) के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू पर भी निशाना साधा गया है, जो एनडीए के सहयोगी हैं। और साथ ही, मुख्य विपक्षी दल, वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवार की घोषणा से पहले ही एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी थी।

यह देखना दिलचस्प होगा कि अब आंध्र प्रदेश में स्थिति कैसी होती है। तेलंगाना में कांग्रेस का शासन है। सभी की निगाहें श्री नायडू और कुछ हद तक श्री जगन मोहन रेड्डी पर टिकी होंगी कि क्या वे एक तेलुगु और एक रेड्डी (जगन के मामले में) को नजरअंदाज करेंगे। दोनों के लिए स्थानीय नाराजगी मोल लेने का ज्यादा जोखिम होगा। आखिरकार, श्री नायडू ने अपनी कट्टर कांग्रेस-विरोधी पृष्ठभूमि के बावजूद, आंध्र प्रदेश के मूल निवासी श्री पी. वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने पर उनका समर्थन किया था। उन्होंने श्री राव को 'तेलुगु बिद्दा' (तेलुगु बड़ा भाई) कहकर अपने समर्थन को उचित ठहराया था।

फिर भी, भाजपा को एक और मोर्चे पर स्पष्ट बढ़त हासिल है–सांसद किसी व्हिप से बंधे नहीं हैं और उनके पास अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का अवसर है। क्या भगवा पार्टी, अपनी पूरी क्षमता के साथ, इस स्थिति का फायदा उठा पाएगी या क्या भारतीय जनता पार्टी के मतदाता कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा न्यायमूर्ति रेड्डी की उम्मीदवारी की घोषणा के समय दिए गए रवैचारिक लड़ाईर के मुद्दे से प्रभावित होंगे?

प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा के दौरान घटी एक असंबंधित, लेकिन पूरी तरह से अलग घटना, सांसदों और पूर्व सांसदों के क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में हुआ एक अजीबोगरीब मोड़ था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सचिव (प्रशासन) पद के लिए भाजपा बनाम भाजपा का सीधा मुकाबला था, जिसमें दो साथी पार्टीजन एक-दूसरे के खिलाफ खड़े थे, जो भाजपा के भीतर दो शक्तिशाली लॉबी का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसा कि अफवाह है, विजेता श्री राजीव प्रताप रूडी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने पूर्व सांसद और गृह मंत्री श्री अमित शाह के अनुयायी, श्री संजीव बालियान को आसानी से हरा दिया।

पिछले एक दशक में यह पहली बार है कि वर्तमान भाजपा का आंतरिक असंतोष सार्वजनिक हुआ, वह भी एक महत्वहीन क्लब चुनाव में। यदि दो शक्तिशाली नेताओं द्वारा अपनी शक्ति का परीक्षण करने और अधिक शक्तिशाली को हराने का सिद्धांत सही है, तो उपराष्ट्रपति चुनावों में पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस और पूरे विपक्ष द्वारा समर्थित एक भाजपा नेता ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से दूसरे पर जीत हासिल की। क्या श्री रूडी, जो छह बार सांसद होने के साथ-साथ एक कमर्शियल पायलट भी हैं, विपक्ष को और मजबूती देने में उत्प्रेरक बन सकते हैं? यह एक बेहद दिलचस्प प्रस्ताव है जिसका नतीजा संभावनाओं के दायरे में है।

क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव का असर उपराष्ट्रपति चुनावों पर पड़ेगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी-शाह की जोड़ी से खुलकर लोहा लेने वाले एक ऊर्जावान नेता और सांसद श्री रूडी उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या भूमिका निभाते हैं। आखिरकार, उन्हें अपने साथी ठाकुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त है। क्या यह उनके लिए बदला लेने का समय नहीं है, क्योंकि विपक्ष द्वारा उन्हें समर्थन देने के मुख्य सूत्रधार श्री राहुल गांधी ही थे?

पितृसत्ता की प्रधानता में लैंगिक समता संभव नहीं

देश के विभिन्न हिस्सों से पिछले छह महीनों में दर्ज मामले इस बात को रेखांकित करते हैं कि जब दूल्हे या उसके परिवार को दहेज कम मिलता है, तो महिलाओं की हत्या कितनी बेरोकटोक होती है।

स्वप्ना मजूमदार
लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ग्रेटर नोएडा में दहेज विवाद में कथित तौर पर पति द्वारा जलाई गई एक महिला की चौंकाने वाली मौत के कुछ ही दिनों बाद, जोधपुर की एक लेक्चरर की भी इसी तरह के कारणों से आत्महत्या करने के बाद जलने से हुई चोटों के कारण दम तोड़ने की खबर आई है। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह अपने ससुराल वालों से दहेज के लिए और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी नाबालिग बेटी को भी अपने साथ आग में जलाने का उसका फैसला उसकी व्यथा और निराशा को दर्शाता है।

दहेज हत्या के ये भयावह मामले न तो बेतरतीब हैं और न ही अलग-थलग। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों (2022) के अनुसार, पूरे भारत में 6,450 दहेज हत्याएं दर्ज की गईं। 2024 में, राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त कुल शिकायतों में से 17 प्रतिशत यानी 4,383 से अधिक मामले दहेज उत्पीड़न से संबंधित थे और 292 मामले दहेज हत्या से संबंधित थे। देश के विभिन्न हिस्सों से पिछले छह महीनों में दर्ज मामले इस बात को रेखांकित करते हैं कि जब दूल्हे या उसके परिवार को दहेज कम मिलता है, तो महिलाओं की हत्या कितनी बेरोकटोक होती है।

उत्तर प्रदेश में, पर्याप्त दहेज न लाने पर एक महिला के शरीर के कुछ हिस्सों पर गर्म लोहे से दागे जाने से उसकी मौत हो गई। पंजाब में, दहेज उत्पीड़न के कारण एक नई दुल्हन ने अपनी जान दे दी। कर्नाटक में एक 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी शुरुआत में गिरने से मौत बताई गई थी, की जांच से पता चला कि दहेज के अभाव में उसकी हत्या की गई थी। केरल में, पति ने अपनी संपत्ति पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए पत्नी की हत्या के लिए जहरीले सांपों का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु में, एक 27 वर्षीय महिला ने शादी के तीन महीने बाद ही अपनी कार में आत्महत्या कर ली।

जहर खाने से पहले अपने पिता को भेजे गए ऑडियो संदेशों में, उसने कहा

कि वह अब और यातना सहन नहीं कर सकती। शारीरिक और मानसिक शोषण के बावजूद, महिलाएं अपने वैवाहिक घरों में रहने और समायोजित होने के लिए मजबूर होती हैं क्योंकि उन्हें यह सोचने के लिए तैयार किया जाता है कि यही 'सही काम' है। माता-पिता सामाजिक दबाव और सामाजिक कलंक के डर के आगे झुक जाते हैं। पारिवारिक समर्थन की कमी महिलाओं के लिए सभी दरवाजे बंद कर देती है और यह जानते हुए कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उसके वैवाहिक परिवार को हिंसा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। दहेज प्रथा कानून द्वारा निषिद्ध होने के बावजूद, लैंगिक असमानता, महिलाओं का कम महत्व और लड़कियों को बोझ समझने की धारणा इस व्यापक लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रथा को जारी रखती है।

दहेज प्रथा न केवल शादी के बाद महिलाओं को प्रभावित करती है, बल्कि जन्म से पहले भी उन पर असर डालती है। लड़की की शादी में दिए जाने वाले दहेज के आर्थिक बोझ के कारण कई लोग लिंग-चयनात्मक गर्भपात का विकल्प चुन रहे हैं।

देश के अधिकांश राज्यों में लिंग-चयनात्मक गर्भपात के कारण लड़कों के पक्ष में लिंगानुपात में असमानता की स्थिति बनी हुई है, जिससे लाखों अवांछित लड़कियों के जन्म को रोका जा रहा है। वास्तव में, राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, विषम लिंगानुपात वाले जिलों में दहेज से होने वाली मौतें अधिक होती हैं।

कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने और लिंग संतुलन बहाल करने के लिए बनाए गए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के बावजूद, लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक बनी हुई है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जन्म के समय लिंगानुपात में लगातार तीन वर्षों से गिरावट दर्ज की जा रही है।

यदि वे पैदा होने के लिए भाग्यशाली हैं, तो परिवार दहेज की अनिवार्यता के लिए संसाधनों की बचत करना शुरू कर देते हैं। भारत में दहेज और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिंग निहितार्थ के एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि दहेज का बढ़ता प्रचलन महिलाओं के लिए खराब स्व-मूल्यांकन वाले स्वास्थ्य में वृद्धि से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि दहेज का प्रचलन महिलाओं की स्थिति को कम करके उनके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। मनोसामाजिक तंत्रों के माध्यम से स्वास्थ्य को खराब करने के अलावा, महिलाओं की निम्न स्थिति स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में बाधाएं पैदा करके उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

अप्रत्याशित रूप से, 2025 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है। न केवल भारत 2024 से तीन स्थान नीचे है, बल्कि यह पड़ोसी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है।

आप की बात

अभद्र और अशोभनीय

किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को सत्ता का विरोध करने का संवैधानिक व मूलभूत अधिकार है। परन्तु मंचासीन होकर सार्वजनिक रुप से देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को ही नहीं दुनिया के किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन या कोई भी नारी को अपशब्दों से अपमानित करना किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक/सामाजिक संस्था को शोभा नहीं देता है। एक प्राचीन राजनीतिक पार्टी के कतिपय सदस्य द्वारा पीएम और उनकी माताजी को मंच से अपशब्द कहा गया जो कि निंदनीय ही नहीं बल्कि अक्षम्य भी है. जो लोग सत्ता के शीर्ष पर जाने का सपना देख रहे हैं क्या ऐसे अव्यवहारिक व स्तरहीन भाषायी व्यवहारों से मतदाता उन्हें वहां तक पहुंचाने में मदद करेंगे? एक पीएम जो सत्ता ही नहीं विपक्ष का भी सम्मानित व्यक्ति होता है. इसी तरह एक विपक्ष का नेता भी सत्तासीनों के लिए उतना ही सम्मानित होता है। अतः देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रहना उनका कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी है. इसकी पुनरावृत्ती न हो इसके लिए पार्टी के आलाकमान को वाणी संयम खोने वालों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि उनकी पार्टी की छवि और पीएम की अस्मिता सदैव बरकरार रहे।

- महेश नेनावा, इंदौर

बेटियों की आत्मरक्षा का सवाल

समाज में बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बातें तो खूब की जाती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मायके से डोली उठते ही लड़की का अस्तित्व या तो मायके तक सीमित रह जाता है या ससुराल तक। उसका अपना घर, उसका अपना जीवन और उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान कहीं खो जाती है। जब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, तो चाहकर भी अत्याचार के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती। दूसरी ओर, समाज की रलोक-लाजर की बेड़ियां उसे और भी ज्यादा कमजोर बना देती हैं। माता-पिता भी दहेज जैसी कुप्रथा की वजह से अनचाहे अपराध में साझेदार बन जाते हैं। वे बेटी के घर को बचाने के नाम पर चुप रहते हैं और जब तक हादसा सामने न आ जाए, कोई कदम नहीं उठाते। निकिता के मामले ने यह साफ कर दिया कि डिजिटल मीडिया पर सक्रिय होने के बावजूद महिलाओं ने अपनी पीड़ा को सामने नहीं रखा। यह डर, यह चुप्पी, अपराधियों को और ताकतवर बनाती है। जरूरत है कि महिलाएं अपने अधिकार जानें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। उन्हें आत्मरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। आज के समय में छोटे-छोटे आधुनिक उपकरण जैसे चिल्ली स्प्रे, इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस आदि बेहद कारगर हो सकते हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई तरह के हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं। जिन्हें सभी महिलाओं को सेव करके रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत इसका इस्तेमाल करना चाहिए

- विभुक्ति बुफक्या, अक्षत खाचरोद, उज्जैन

नकारात्मक राजनीति

मौत का सौदागर, चौकीदार चोर आदि आदि के पश्चात अब बिहार विधानसभा के चुनावपूर्व काल में कांग्रेस का उद्घोष है "वोट चोर गद्दी छोड़", आश्चर्य ये है कि अन्य विपक्षी दल भी राहुल गांधी के सुर के साथ सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा मोदी विरोध में नकारात्मक राजनीति का सहारा लिया है। चुनावों में ई वी एम का राग छोड़ इंडी गठबंधन अब अपुष्ट कुतर्कों के सहारे और झूठे सिद्ध हुए उदाहरणों के माध्यम से चुनाव आयोग के बहाने भाजपा और मोदी को वोट चोर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। न तो वोट चोरी का विमर्श तार्किक है न ही इस विमर्श में लेशमात्र भी यथार्थ का चिह्न तो भी संभवतः राहुल बाबा, तेजस्वी सहित इंडी वाले बिना बीज किसी फसल की अपेक्षा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल को जो एक सप्ताह का समय दिया था उस अवधि की समाप्ति पर झूठ बोलने वाले राहुल आदि पर वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए। इस झूठे अभियान से भारत के चुनाव आयोग की छवि को आघात पहुंचाता है अतः इसके प्रति उदासीन रहने से राजनेताओं की ऐसी उच्छृंखल प्रवृत्ति बढ़ेगी जो भारत के लोकतंत्र के लिए घातक है। मीडिया कर्मियों को भी इन नेताओं से वोट चोरी को सिद्ध करने का आग्रह करना चाहिए।

- डॉ. जय प्रकाश गुप्त, अम्बाला छावनी

वैष्णो देवी त्रासदी

जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन के कारण 38 श्रद्धालुओं की मृत्यु एक अत्यंत ही दुखद घटना है जिस पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई हुई है और स्थानीय लोग और श्रद्धालु खौफ में जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर की घटना के कारण इस क्षेत्र में अधिकांश रेल रद्द कर दी गई है जिससे वहां फंसे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। सरकार पूरी कोशिश करती है कि बारिश के दिनों में लगातार मौसम बुलेटिन जारी करें, क्षेत्र वासियों को अवगत कराए और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दें, ताकि वैष्णो देवी मंदिर मार्ग जैसी घटनाक्रम ना हो और जान माल का नुकसान कम से कम हो। रयदि जान है तो जहां हैर कहावत को जरूर समझना चाहिए। धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं घर पर भी निभाई जा सकते हैं। यदि बिना सोचे समझे घर से निकलेंगे तो जान माल का भारी नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि प्रकृति का रौद्र रूप कभी भी सामने आ सकता है।

- वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली